अनुसंधान एवं विकास नियमावली

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल

मार्च, 2013

अस्थायी परिसर
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं
अनुसंधान संस्थान भोपाल
आईटीआई परिसर (गैस राहत) भवन
गोविंदपुरा, भोपाल-462 023
मध्य प्रदेश, भारत

स्थायी परिसर
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं
अनुसंधान संस्थान भोपाल
इंदौर बाई-पास रोड
भौरी, भोपाल-462 030
मध्य प्रदेश, भारत

विषय-वस्तु

I.	**प्रस्तावना तथा नीति अवसंरचना कार्य**	
1.	आईआईएसईआर प्रणाली	
2.	संस्थान	
3.	अनुसंधान एवं विकास कार्यालय	
4.	डीन, अनुसंधान एवं विकास	
5.	संस्थान की अनुसंधान एवं विकास समिति (आईआरडीसी)	
6.	आरएंडडी परियोजनाओं के प्रकार	
	क. आरंभिक अनुदान	
	ख. प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं	
	ग. परामर्शी परियोजनाएं	
	घ. परीक्षण परियोजनाएं	
	ङ. विशेष अनुदान	
	च. यात्रा अनुदान	
	छ. शोध उपकरण के अर्जन हेतु समिति (सीएआरई)	
	ज. अध्येतावृत्ति	
	झ. एसएंडटी अवसंरचना के उन्नयन हेतु कोष (एफआईएसटी)	
	ञ. डायनोमिक इन्सेंटिव स्कीम	
7.	केंद्रीय उपकरण सुविधा (सीआईएफ)	
8.	विज्ञान शिक्षा विकास केंद्र (सीडीएसई)	
9.	पेटेंट दायर करना और उनका प्रबंधन	
10.	समझौता ज्ञापन, अनुबंध/करार	
II.	**दिशा-निर्देश**	
11.	ऊपरी खर्च तथा सेवा कर	
12.	व्यावसायिक विकास खाता (पीडीए)	
13.	विभागीय उन्नति खाता (डीपीए)	
14.	पुस्तकें	
15.	उद्यमशीलता सहायता	
16.	बौद्धिक संपदा अधिकार	
17.	भंडार तथा क्रय मैनुअल	
18.	यात्रा अग्रिम और समायोजन	

19.	परियोजना नियोजन	
20.	प्राप्त अनुदान से बैंक जमा खाते पर कोई ब्याज अर्जन नहीं की घोषणा	
III.	**आरएंडडी कार्यालय का कार्यकलाप**	
21.	परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ	
22.	कार्मिक एवं स्थापना प्रबंधन प्रकोष्ठ	
23.	भंडार एवं क्रय प्रबंधन प्रकोष्ठ	
24.	अग्रिम प्रबंधन प्रकोष्ठ	
25.	समझौता ज्ञापन प्रकोष्ठ	
26.	आरएंडडी खाता प्रकोष्ठ	
27.	आरए छात्रावास प्रबंधन	
28.	रैकिंग डाटाबेस	
29.	प्रकाशन प्रकोष्ठ	
	क. दीक्षांत समारोह रिपोर्ट	
	ख. वार्षिक रिपोर्ट	
	ग. संस्थान की विवरणिका	
IV.	**अनुसंधान एवं विकास कार्यालय द्वारा पहलें**	
30.	विज्ञान कन्क्लेव	
31.	संस्थान की व्याख्यान श्रृंखला	
32.	विज्ञान दिवस	
V.	**परिशिष्ट**	
33.	फॉर्मों की सूची	
34.	संक्षेपाक्षरों की सूची	

खंड -I

प्रस्तावना तथा नीति अवसंरचना कार्य

1. आईआईएसईआर प्रणाली

भारत सरकार ने 2006 के आरंभ में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसआईआर) की स्थापना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। यह निर्णय प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् की सिफारिश पर आधारित है। कई अन्य निका यों ने भी ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने की आवश्यकता पर जोर दिया हैं ताकि युवा, प्रतिभावान छात्रों को विज्ञान में केरियर बनाने के लिए आकर्षित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत अनुसंधान और विकास गतिविधियों के एक समूह के रूप में उभर रहा है। ऐसे प्रतिस्पर्धी परिवेश में मजबूत स्थिति प्राप्त करने के लिए युवा छात्रों को विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। ये संस्थान मूल तथा प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा तथा शोध वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता को निश्चित रू प से पूरा करेंगे।

आईआईएसईआर के चार्टर में विज्ञान में अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा में शोध का बौद्धिक वातावरण तैयार करते हुए विश्व स्तर की संस्था बनाने की परिकल्पना की गई है। इन संस्थाओं से देश में ए क अनन्य शोध विश्वविद्यालय प्रणाली विकसित करने की आशा की गई है जिसमें शिक्षा पूर्णतः आधुनिक अनुसंधान के साथ समेकित होगी।
आईआईएसईआर में दस-प्लस-दो पाठ्यचर्या को अपनाते हुए विज्ञान में एक समेकित स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने और अत्यधिक गुणवान, अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त ऐसे संकाय सदस्यों का संवर्ग तै यार करने का प्रावधान किया गया है जो विज्ञान में शिक्षण और साथ ही शोध गतिविधियों के प्रति समर्पित होंगे। इन संस्थाओं के डॉक्टरल कार्यक्रम में यह आशा की जाती है कि संस्थान के समेकित स्नातकोत्तर कार्यक्रम के बहुत सारे छात्र विज्ञान के केंद्रित क्षेत्रों में डॉक्टरल विषयों का अध्ययन करेंगे। आईआईएसईआर का लक्ष्य आण्विक ऊर्जा विभाग (डीएआई), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), जैसे सरकारी संगठनों को अत्यधिक गुणवान वै ज्ञानिक श्रमिक प्रदान करना और अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षण व्यवसाय तथा समाज के अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रदान करना है।

इसका लक्ष्य निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई शोध आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। क्षेत्र में मौजूद संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ समन्वय और सहयोग स्थापित करते हुए आईआईएसईआर मंहगी प्रयोगशाला सुविधाओं और शिक्षण प्रतिभाओं दोनों के रूप में संसाधनों का ईष्टतम उपयोग कर सकता है।

आईआईएसईआर के पास शैक्षिक विभागों की किसी सीमा अथवा बाधाओं के बगैर अंतर-विषयक क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार का दृष्टिकोण है। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान प्रकृति में लगातार अंतर- विषयक बन रहा है। छात्रों के पास एक लोचशील तरीके से क्रेडिट पाठ्यक्रमों का अवसर प्राप्त होगा। विभिन्न विभागों के संयुक्त पर्यवेक्षण के साथ अनुसंधान परियोजनाएं आईआईएसईआर प्रणाली का एक ध्यान केंद्र है। शैक्षिक कार्यक्रमों शिक्षा के शुरूआती चरण में शोध की भावना पर जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लक्ष्य के साथ आईआईएसईआर प्रणाली की प्रयोगशाला अवसंरचना प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करेगी। अपने क्षमता नीतिगत दृष्टि कोण के साथ यह प्रणाली देश के भीतर और साथ- साथ विदेशों से सफल भारतीय वैज्ञानिकों की सर्वोच्च प्रतिभा को आकर्षिक करेगी।

किसी संस्था के शैक्षिक कार्यक्रम उसकी विशेषता को निर्धारित करते हैं। वर्तमान में आईआईएसईआर में दो मुख्य शैक्षिक कार्यक्रम है- एक बीएस-एमएस दोहरी डिग्री कार्यक्रम और दूसरा डॉक्टरल कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों शिक्षा की भावना "शोध आधारित शिक्षण" होगी। छात्रों को एक व्यापक तरीके से प्रयोगशाला कार्य का अवसर दिया जाएगा। संस्थान की शैक्षिक गतिविधियां भौतिक विज्ञान , रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, सामग्री विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा भू एवं पर्यावरण विज्ञान इत्यादि जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अंतर- विषयक होंगी।

इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) का सृजन मूल शिक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा और शोध के संव र्धन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की घोषणा के माध्यम से 2006 में किया गया था। घोषणा के तुरंत बाद इनमें से दो संस्थान क्रमशः पूना और कोलकाता में 2006 में आरंभ किए गए थे। इसके पश्चात्, मोहाली में 2007 तथा 2008 में भोपाल और त्रिवेन्द्रम में सं स्थान आरंभ किए गए। प्रत्येक आईआईएसईआर डिग्री प्रदान करने वाला एक स्वायत्तशासी संस्थान है जिसका मुख्य जोर प्रतिभाशाली छात्रों और विश्व स्तर के संकाय को प्रेरित करने के लक्ष्य के साथ विज्ञान शिक्षा तथा शोध को समेकित करना है।

2. संस्थान

भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान , भोपाल संकाय के लिए अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा में शामिल होने और मूल विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी शोध करने के लिए मंच प्रदान करता है। ये संस्थान छात्रों को अत्यधिक नैतिक और मूल्यवा न शिक्षा प्रदान करने एवं सामाजिक तथा पर्यावरण मुद्दों के लिए चिंता पैदा करने के प्रति भी वचनबद्ध है। इन वृहत उद्देश्यों के साथ यह माना जाता है

कि आईआईएसईआर भोपाल अपनी शुरूआत के कुछ वर्षों में ही एक विश्व स्तर की संस्था के रूप में उभरेगा।

आईआईएसईआर भोपाल भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान तथा भू एवं पर्यावरण विज्ञान में बीएस- एमएस (दोहरी डिग्री) तथा पीएच.डी डिग्री प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों का विवरण शैक्षिक मामलों के तहत वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। आईआईएसईआर, भोपाल का लक्ष्य अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को गुणवत्तावान विज्ञान शिक्षा प्रदान करना है। मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों और विश्व स्तर के संकाय को समेकित विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान में आकर्षित करना है। ये संस्थान छात्रों को अत्यधिक नैतिक और मूल्यवान शिक्षा प्रदान कर ने एवं सामाजिक तथा पर्यावरण मुद्दों के लिए चिंता पैदा करने के प्रति वचनबद्ध है।

आईआईएसईआर भोपाल के अनुसंधान उन्मुखी शैक्षिक संस्थान होने के नाते अपनी शुरूआत से ही प्रायोजित शोध के प्रायोजित कार्यक्रम विकसित करने का प्रयास करेगा। यह संस्थान शोध का एक एजें डा तैयार करेगा। सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि एक समेकित तरीके से प्रयोगात्मक , विश्लेषणात्मक और गणनात्मक कार्य किया जा सकें। आईआईएसईआर भोपाल देश की प्रमुख शोध परियोजनाओं को आरंभ करेगा और इन्हें अपने हाथ में लेगा। गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ आईआईएसईआर भोपाल का एक इंटर-फेस होगा।

3. अनुसंधान एवं विकास कार्यालय

आईआईएसईआर भोपाल के अनुसंधान एवं विकास कार्यालय की स्थापना संस्थान के प्रायोजित शोध , परामर्श और अन्य आरएंडडी से संबद्ध गतिविधियों के संचालन के लि ए विशिष्ट प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। शोध दृष्टिकोण अब एक व्यैक्तिक प्रयोगशाला कार्य से आगे बढ़कर एक सहयोगी कार्य में परिवर्तित हो गया है जो न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होता है। यह कार्यालय विश्व में बाह्य एजेंसी के साथ आईआईएसईआर संकाय के मेल- मिलाप के लिए सहायता प्रदान करता है। आरएंडडी कार्यालय के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार एवं इंकुबेशन प्रकोष्ठ (आईपीआरआईसी) संस्थान- उद्योग जगत के मेल- मिलाप के लिए सहायता प्रदान करता है और पेटेंट दायर करने तथा उसके प्रबंधन की देखरेख करता है।

इस संस्थान का उद्देश्य शोध समाज के विकास और उद्योग जगत की वृद्धि में सहायता करने के उद्देश्य से युवा एवं प्रतिभावान दिमाग का उपयोग करते हुए नए क्षेत्रों की खोज करना और नवाचारी विचारों को पैदा करना है। संस्थान ऐसी शोध गतिविधियों से अत्य धिक

लाभांवित होता है जो न केवल समाज में मौजूदा समस्याओं को हल करती हैं अपितु नई प्रौद्योगिकियों के विकास के प्रति भी लक्षित होती हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संकाय सदस्यों की आधुनिक सुविधाओं और अवसंरचना द्वारा सहायता की जाती है।

4. डीन, अनुसंधान एवं विकास

सामान्यतः डीन का चयन सभी विभागों के परामर्श से किया जाता है। उसके बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए शासी बोर्ड द्वारा डीन की नियुक्ति की जाती है। इस प्रबंध के अभाव में समन्वयक, अनुसंधान एवं विकास की सभी संचालनात्मक जिम्मेदारियों और डीन, अनुसंधान एवं विकास में निहित अधिकारों के प्रत्यायन के साथ दो वर्ष की अवधि के लिए निदेशक द्वारा नियुक्ति की जाती है।

5. संस्थान की अनुसंधान एवं विकास समिति (आईआरडीसी)

आईआरडीसी के पास संस्थान की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सहायता करने और डीन, अनुसंधान एवं विकास का समर्थन, सलाह और सहायता प्रदान करने का अध्यादेश एवं जिम्मेदारी होगी।

इसमें सभी विभागों और अंतर-विषयक कार्यक्रमों के प्रतिनिधि होंगे। यह इकाई नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और संस्थान द्वारा संकाय सदस्यों से प्राप्त प्रथम स्तरीय फीडबैक पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सक्रिय इकाई होगी। आईआईडीसी सदस्यों से प्रक्रियागत मामलों में खामियों को उजागर करने की आशा की जाती है ताकि आरएंडडी प्रणाली के प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके। निदेशक आईआरडीसी का निम्नानुसार गठन करेगाः

अध्यक्ष	**:**	डीओआरआडी
सदस्य सचिव	:	सहायक कुल सचिव/प्रभारी अधिकारी, आरएंडडी।
सदस्य	:	प्रत्येक विभाग से निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य।

6. आरएंडडी परियोजनाओं के प्रकार

संस्थान की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का उद्देश्य समाज और उद्योग जगत की तात्कालिक और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों, सरकारों और उद्योगों के साथ शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग के माध्यम से नवाचारी और प्रौद्योगिकीय विकास करना है। अनुसंधान का कार्य क्षेत्र और स्तर में छात्रों तथा अंतर-विषयक शोध कार्यक्रमों की वित्त-पोषित परियोजनाओं तक अत्यधिक शामिल हुआ है।

संस्थान के संकाय सदस्य , शोध कर्मचारी और छात्र बौद्धिक जिज्ञासा , समकालीन चुनौतियों को हल करने , प्रौद्योगिकी विकसित करने अथवा विद्वत प्रकाशनों के लेखन के उद्देश्यों के साथ शोध का संचालन करते हैं। संस्थान इन गतिविधियों से काफी लाभ उठाता है और वास्तव में संकाय सदस्यों की खोज पर निर्भर होता है। विश्व में सम्मानित रूप में यह संस्थान पूर्णतः शोध क्षेत्र में अपने प्रदर्शन पर आधारित हैं। इसे प्राप्त करने के लिए संस्थान में अत्याधुनिक अवसंरचना और विद्वता के रूप में शोध के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार किया है।

क. आरंभिक अनुदान

संस्थान नए संकाय सदस्य को शोध आरंभ करने के लिए 5.00 लाख रुपए से 25.00 लाख रुपए तक की निधियां/अनुदान प्रदान कर सकता है। इसके लिए अनुरोध में शोध का संक्षिप्त विवरण और शोध की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए कि वह अगले दो वर्षों तक इसका संचालन करना चाहता है। यह प्रणाली नए संकाय सदस्यों को आने वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु तैयार करने में सहायता करते हुए एक मंच के रूप में कार्य करती है। अनुप्रयुक्त राशि को दूसरे वर्ष के अंत में लौटा दिया जाएगा।

निर्देशी टिप्पणियां:

- आरंभिक अनुदान परियो जनाओं को आरंभ करने के उद्देश्य से शोध उपकरण , पीसी, प्रिंटर, यूपीएस, पुस्तकें, फर्नीचर, विविध मदें तथा घरेलू यात्रा के लिए दिया जाता है। सामान्यतः इसमें तब तक निम्नलिखित शामिल नहीं होते हैं जब तक कि उसमें सक्षम अधिकारी का विशेष अनुमोदन प्राप्त न हो।;
  क) नियुक्ति स्टाफ,
  ख) सम्मेलन यात्रा (जिसके लिए अन्य संसाधन उपलब्ध हो)।
- नए संकाय द्वारा निदेशक द्वारा गठित संस्थान स्तरीय समिति की समक्ष संक्षिप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

ख. प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं

प्रयायोजित परियोजना वह परियोजना है जिसमें मूल अनुसंधान में पीआई को शामिल किया गया हो। पीआई द्वारा निधियिन एजेंसी द्वारा संबंधित बजट शीर्ष में यथा अनुमोदित राशि का प्रयोग किया जा सकता है। इसका निधियन सरकार द्वारा अथवा किसी उद्योग द्वारा किया जा सकता है।

i) वैयक्तिक परियोजनाएं

संस्थान विज्ञान और प्रौ द्योगिकी के मूल तथा एप्लाइड क्षेत्रों में खोज , प्रायोजित परियोजनाओं के रूप में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए शोध अनुदान का वित्त- पोषण सरकारी एजेंसियों अथवा उद्योगों (राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों) द्वारा किया जा सकता है। ये परियोजनाएं आमतौर पर आवधिक मूल्यांकनों के साथ 2-5 वर्ष की अवधि की होती हैं , जबकि शोध उद्देश्यों को संशोधित किया जा सकता है।

ii) सहयोगी परियोजनाएं

संकाय सदस्य अन्य घरेलू अथवा विदेशी भागीदारों के साथ सहयोगी परियोजनाओं में भी भाग ले सकते हैं। ऐसी परियोजनाओं में हालांकि कोई समग्र परियोजना हो सकती है , एक पृथक बजट और संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा किए जाने वाले कार्य विवरण का कार्यक्षेत्र होना आवश्यक है। संस्थान को प्रदत्त सार विवरण मुख्यतः संस्थान द्वारा किए जाने वाले भाग पर आधारित होना चाहिए।

संस्थान प्रायोजिक एजेंसी से संस्वीकृति पत्र प्राप्त होते ही परियोजना अन्वेषकों को अपेक्षित क्रमिक नियुक्त करते हुए, उपभोज्यों पर खर्च करते हुए और निधियां जारी होने के अग्रिम में ही संस्थान के ढांचे और संसाधनों का प्रयोग करते हुए परियोजना का कार्य आरंभ कर ने की अनुमति प्रदान करेगा।

संस्थान का प्रतिनिधि डीओआरडी से संस्थान के ऊपरी व्यय के हिस्से सहित संस्थान के पक्ष में दी जाने वाली निधियों के स्पष्ट ब्यौरे के साथ एक प्रेषण टिप्पणी प्राप्त करेगा। संपूर्ण प्रस्ताव और सहयोगी संस्थान से संबद्ध प्रेषण नोट के सा थ प्रेषण टिप्पणी को निधियन एजेंसी को भेजा जाना अपेक्षित होगा। संस्थान यदि यह आंशिक अनुदान हो तो वह संस्थान द्वारा प्राप्त अनुदानों के भाग के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करेगा। संपूर्ण निधियन के मामले में संस्थान समय- समय पर स्टांप लगी हुई अग्रिम पूर्व- प्राप्ति अथवा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सहयोगी संस्थान के लिए निर्धारित निधियों के भाग को जारी करने का प्रबंध करेगा। अंततः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तथा परियोजना के अंत में एक समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र और परियोजना संपूर्णता रिपोर्ट पाईआई/डीओआरडी कार्यालय के माध्यम से निधियन एजेंसी को भेजी जानी आवश्यक होगी।

अनुदानों के माध्यम से प्राप्त राशि संस्थान द्वारा धारित चालू खाते में रखी जाती है और संस्थान प्राप्त अनुदानों पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं करता है। न तो संस्थान निधियन एजेंसी से व्यय की प्र तिपूर्ति में विलंब के मामले में अथवा न ही एजेंसी द्वारा आईआईएसईआर

भोपाल के पीआई द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन के प्रति वचनबद्ध निधियों के हस्तांतरण में विलंब के मामले में कोई व्याज प्रभारित करता है।

निदेशी टिप्पियां:

- इसी परियोजना के लिए आवश्यक निधियों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित बजट शीर्षों पर ध्यान दिया जाएगाः
  - **(क)** पीएचडी विद्वानों सहित परियोजना स्टाफ का वेतन
  - **(ख)** उपकरण
  - **(ग)** उपभोज्य
  - **(घ)** यात्रा (घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय)
  - **(ङ)** आकस्मिकता
  - **(च)** लेखापरीक्षा शुल्क, कर, बीमा, बैंक प्रभार, एएमसी
  - **(छ)** ऊपरी व्यय (परियोजना लागत के 20% की दर से)
  - **(ज)** परियोजना से विशिष्ट कोई अन्य लागत

- ऊपरी व्ययः वर्तमान में ऊपरी व्यय कुल परियोजना लागत के 20% की दर पर तय किया जाता है।
- संस्थान के लैटरहेड पर पृष्ठांकन मुद्रित होता है और पीआई द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा डीन , आरएंडडी के प्रति हस्ताक्षर के लिए इसे आरएंडडी कार्यालय को प्रेषित किया जाता है।
- एक प्रस्ताव जो विशेषतः ऊपरी व्यय के साथ सभी शर्तों को पूरा करता हो पर डीन , आरएंडडी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। मानदण्डों (उदाहरणार्थ ऊपरी व्यय में कटौती) से किसी भी विपथन पर विचार- विमर्श किया जाएगा और इसका स्प ष्ट रूप से अनुमोदन किया जाएगा।
- प्रस्ताव पाईआई द्वारा भेजा जाना चाहिए और इसकी प्रति अनुसंधान एवं विकास कार्यालय में रखी जानी चाहिए।
- प्रस्ताव की हार्ड /सॉफ्ट कॉपी रखी जाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यालय के समझौता ज्ञापन प्रकोष्ठ को भेजी जाएगी।
- आईपीआर मुद्देः आईपीआर से संबंधित सभी मामलों पर संस्थान और निधियन एजेंसी के बीच आईपीआरआईसी के माध्यम से सहमति की जाएगी। वरीयता रूप से आईपीआर को आईआईएसईआर भोपाल तथा निधियन एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाएगा। संस्थान की आईपीआर नीति के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट अर्थात् http://www.iiserb.ac.in/research-ipr.html देखें।

- समझौता ज्ञापन/करार तैयार करनाः संस्थान में समझौता ज्ञापन/करार तैयार करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशा- निर्देश हैं। समझौता ज्ञापन /करार तैयार करने के लिए कृपया खंड-III देखें ("आरएंडडी कार्यालय के कार्य")।
- परियोजना संपूर्ण होने के पश्चात् अंतिम रिपोर्ट निधियन एजेंसी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी पीआई की होगी। पीआई लेखा विवरण- सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समेकित प्रति प्राप्त कर सकता है और परियोजना संपूर्णतः रिपोर्ट के साथ इसे संबंधित निधियन एजेंसी को भेज सकता है जिसकी एक प्रति आरएंडडी कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।
- निधियन एजेंसी से परियोजना के सफलतापूर्ण पूरा होने के पश्चात् एक संपूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए और इ से आरएंडडी कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिसके आधार पर परियोजना का खाता बंद कर दिया जाएगा।

iii) संस्थान द्वारा समर्थित परियोजनाएं

यह आशा की जाती है कि शोध तथा सुसंगत शोध समूहों को सतत् दीर्घावधि सहायता **संस्थान में शोध वातावरण प्रोत्साहन** प्रदान करेगा। इस पृष्ठभूमि में संस्थान ने एक बजट के सर्जन का प्रस्ताव किया है।

1. वार्षिक अनुमोदनों के आधार पर 3-4 करोड़ रुपए का कुल वार्षिक बजट उपलब्ध कराया जा सकता है जिसके भविष्य में वृद्धि (अत्यधिक) करने की संभावना है।
2. प्रत्येक वर्ष कुल 4-5 परियोजनाओं को अनुमोदि त किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक परियोजना 3 अथवा 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित होगी।
3. परियोजनाएं संस्थान को प्रस्तुत विस्तृत प्रस्तावों से चयनित की जाएंगी। प्रस्तावों को अत्यधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी क्षेत्रों वाला होना आवश्यक होगा। विशेषज्ञों, जिनमें आवश्यकता होने पर संस्थान के बाहर के कुछ विशेषज्ञ भी शामिल होंगे , द्वारा उनकी समीक्षा की जाएगी। वित्तीय सहायता के लि चयन हेतु प्रस्ताव की गुणवत्ता प्रमुख कारक होगी।
4. प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से अंतर-विषयक होंगे। उन्हें संस्थान के भीतर संकाय सदस्यों और कर्मचारियों द्वारा विकसित किया गया हो। तथापि, हमारी इस समय किसी भी तरीके से प्रस्ताव तैयार करने को रोकने की योजना नहीं है।
5. अन्वेषकों के पास विशेषज्ञ समिति द्वारा आरंभिक अनुमोदन के अधीन राशि का उपयोग करने की पर्याप्त लोचशीलता होगी।
6. संस्थान द्वारा वित्त पोषित परियोज नाओं की सावधानीपूर्वक मॉनीटरिंग की जाएगी। प्रकाशन, पीएचडी छात्रों तथा पेटेंट का सफलता के सूचकांकों के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

7. यह आशा की जाती है कि संस्थान के भीतर से स्थिर वित्तीय सहायता हमारे संकाय सदस्यों को नई दिशा तलाशने , बड़ी चुनौतियां स्वीकार करने और अंतर्राष्ट्रीय शोध परिवेश में उपलब्धि हासिल करने में सफल बनाएगी।

संस्थान के आंतरिक संसाधनों का उपयोग करने वाले संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के शोध में वित्तीय रूप से सहायता करने के निर्णय को देखते हुए क्रियान्वयन विवरण और समय-सीमा सहित परियोजनाओं के च यन और अनुवीक्षण के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाएगी।

निर्देशी टिप्पणियां:

- **प्रस्ताव आमंत्रित करनाः** डीन, अनुसंधान एवं विकास का कार्यालय संस्थान के शैक्षिक कर्मचारियों से प्रस्ताव मंगवाने की घोषणा करेगा। इसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर संस्थान की स्थिति शामिल होगी, हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों से प्रस्तावों को स्वागत किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान को शामिल करते हुए रोचक प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं हालांकि यह आशा की जाती है कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रस्ताव अंतर-विषयक होंगे और इस प्रकार वे एक समूह से निकलकर आएंगे। प्रस्तावों को मानक डीएसटी प्रपत्र में होना चाहिए। तीन से चार वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। निधियन की मात्रा स्पष्ट रूप से काफी अधिक है।
- **समीक्षा प्रक्रियाः** प्रस्तावों की समीक्षा बोर्ड द्वारा गठित एक स्थाई समिति द्वारा की जाएगी। यह समिति प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के मत मंगवा सकती है। ऐसे विशेषज्ञों का सुझाव अन्वेषक द्वारा अपने प्रस्ताव में दिया जा सकता है। मूल्यांकन के दौरान गुणवत्ता, मूलतः और अत्यधिक प्रभाव की संभावना दिशा निर्देशी सिद्धांत होंगे। प्रस्तावित शोध की मूलतः और महत्व को आंकने के लिए प्रस्तुतीकरण का प्रबंध किया जा सकता है। समिति वित्तीय सहायता तथा अपेक्षित समय-सीमा, उपकरण की लागत , उपभोज्य, स्टाफ, यात्रा के लिए व्यय तथा अन्वेषक द्वारा आयोजित किए जाने के लिए अपेक्षित कार्यशालाओं - सम्मेलनों जैसे अन्य पहलुओं के लिए प्रस्ताव के संबंध में निर्णय देगी। डीन , आरएंडडी द्वारा प्रेषित समिति की सिफारिश अंतिम अनुमोदन के लिए निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी।
- **प्रशासनिक मुद्देः** संस्थान के संसाधनों से प्रायोजक परियोजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु स्थायी समिति में संस्थान के संकाय सदस्य होंगे। संस्थान में अध्यक्ष के रूप में डीन , आरएंडडी के साथ चार सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त , प्रत्येक प्रस्ताव की 2-3 विषय-विशेषज्ञों द्वारा स्वतंत्र समीक्षा की जाएगी। समीक्षा प्रक्रिया और विचार- विमर्श के लिए विभागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को शामलि किया जा सकता है। स्थायी समिति

शासी बोर्ड को शोध के उन क्षेत्रों पर सलाह देगी जो संस्थान संचालित करेगा और विश्व भर में अग्रणी समूहों के सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करेगा।

- **शोध के क्षेत्रों की पहचान करनाः** यह कदम वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कई गुणा गति से बढ़ रही हैं - जो एक ऐसा पहलू है जिसमें शोध विषयों के विकल्प, निवेश तथा संकाय की भर्ती में लोचशीलता की आवश्यकता है। शोध निर्देश शुद्ध उत्साह द्वारा किए जा सकते हैं। अधिक महत्वपूर्ण रूप से कुछ उपलब्धियां शोध के लिए नए अवसर और मार्ग सृजित करते हैं। वाणिज्यिक विचारों , उत्पाद, उपकरण और प्रक्रियाओं की संभावनाओं के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में सतत् निधियन की आवश्यकता होगी। विचार उद्योग जगत अथवा सरकार से प्राप्त हो सकते हैं। शोध राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध अवस्थापनात्मक परिस्थिति अथवा चिंताओं द्वारा लिए जा सकते हैं। शोध समुदाय आवधिक रूप से समुचित वित्तीय पुरस्कार के साथ बड़ी चुनौतियों की घोषणा करते हैं। संस्थान के रूप में हमारा उन विषयों में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का प्रस्ताव है जिनमें हमने पारंपरिक रूप से उत्कृष्टता हासिल की है। वर्ष दर वर्ष आधार पर इन पर ध्यान दिया जाएगा और इनमें सतत् विचार- विमर्श तथा उन्नयन की आवश्यकता होगी। विभागों, केंद्रों और आईआरडीसी को केंद्रित क्षेत्रों के विकल्प पर संस्थान को सतत् सलाह प्रदान करनी होगी।
- **मूल्यांकनः** शोध परियोजनाओं की प्रगति की , यदि आवश्यक हो, तो बाह्य विशेषज्ञों का प्रयोग करते हुए निकटता से मॉनीटरिंग की जाएगी। उच्च प्रभाव वाले जरनलों में शोध निष्कर्षों का प्रकाशन इस मूल्यांकन में पहला कदम होगा। संस्थान की सहायता की प्रमुख परियोजनाओं और पुरस्कारों के लिए निवेश के रूप में भी समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य, संचार, ऊर्जा, पर्यावरण और जल जैसे लक्ष्यों में राष्ट्रीय उद्देश्यों में सहयोग का भी समुचित रूप से ध्यान रखा जाएगा।

परियोजना के संस्वीकृति होने के पश्चात् पंजीकरण तथा परियोजना के संचालन के लिए कृपया खंड III (आरएंडडी कार्यालय के कार्यकलाप) देखें।

ग. परामर्शी परियोजनाएं

संस्थान के पास ज्ञान और बौद्धिक विचार प्रदान करने के लिए विभिन्न शोध क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है जो उद्योग जगत के लिए हितबद्ध हैं। यह अपने संकाय सदस्यों को परामर्शी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो कि देश की औद्योगिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण शस्त्र है।

निर्देशी टिप्पणियां:

- एक परामर्शी परियोजना/कार्य वह होता है जिसमें संकाय सदस्य और शोध कर्मचारी उद्योग जगत (भारत से तथा विदेशों से) को बौद्धिक ज्ञान प्रदान करते है। यह प्रभावी रूप से एक अनुबंध कार्य है जिसमें सभी परिणाम प्रायोजक से संबद्ध होते हैं।
- यह वांछनीय है कि परामर्श के लि ए भुगतान संस्थान के माध्यम से किए जाएं । इसका अर्थ यह है कि जब भी भुगतान किया जाए तो वह संस्थान के नाम में होना चाहिए, जो इसके पश्चात् सांविधिक नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् संकाय सदस्य/कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, को मानदेय प्रदान करेगा।
- आवश्यकता संबद्ध उद्योग से प्रारंभ होगी। संकाय सदस्य से कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय और लागत का अनुमान लगाने की आशा की जाती है।
- प्रस्ताव तैयार करना और प्रस्तुत करनाः परामर्शी परियोजन के मामले में सामान्यतः आवश्यकता के आधार पर परियोजना पीआई द्वारा तैयार की जाती है। इसमें विशिष्ट रूप से प्रमुख घटक के रूप में परामर्शी शुल्क के साथ निधियों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। इसमें परामर्शी परियोजना के निष्पादन हेतु सहायक श्रमिकों , उपकरण, यात्रा आकस्मिकता तथा अन्य लागतों के लिए भी बजट को शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक परामर्शी परियोजना में ऊपरी व्यय तथा सेवा कर का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- ऊपरी व्यय और सेवा करः कृपया संस्था न की वेबसाइट अर्थात् http://www.iiserb.ac.in के खंड-I का संदर्भ लें।
- प्रस्ताव प्रस्तुत करने के चरण में बजट परियोजना लागत (X), 25% ऊपरी व्यय (0.25X) और सेवा कर (1.25X का 10.3%) शामिल होगा।
- सेवा कर भारत सरकार द्वारा आवधिक संशोधन के अधीन होगा।
- सेवा कर उन परियोजनाओं से नहीं काटा जाएगा जहां निधियां विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती हैं।
- यदि उपकरण परियोजना की समाप्ति के पश्चात् निधियन एजेंसी /संगठन को वापस किया जाना है तो उपकरण पर सेवा कर नहीं लगाया जाएगा। इसे समझौता ज्ञापन/प्रस्ताव में ही स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में:
  - निधियां विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती हैं;
  - सेवा कर लागू नहीं होता;

- अन्य पक्ष/निधियां एजेंसी के साथ आईआईएसईआरबी का शोध सहयोग दोनों देशों और/अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों , जैसा भी मामला हो, के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

- एक समझौता ज्ञापन /करार जो विशिष्ट रूप से ऊपरी व्यय , सेवा कर संबंधी सभी शर्तों को पूरा करता हो , का संस्थान द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। मानदंडों (उदाहरणार्थ ऊपरी व्यय में कटौती) से किसी भी विपथन पर विचार-विमर्श करना और स्पष्ट रूप से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। किसी भी छूट के लिए अनुमोदन प्राधिकारी निदेशक आईआईएसईआरबी होगा।
- प्रस्ताव की सॉफ्ट प्रति रिकॉर्ड के लिए आरएंडडी कार्यालय को भेजी जाएगी।
- *आईपीआर मुद्दे:* आईपीआर से संबंधित सभी मामलों पर संस्थान और निधियन एजेंसी के बीच सहमति की जाएगी। वरीयता रूप से आईपीआर को आईआईएसईआर भोपाल तथा निधियन एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाएगा। संस्थान की आईपीआर नीति के बोर्ड अनुमोदन के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट अर्थात् http://www.iiserb.ac.in देखें।
- *समझौता ज्ञापन/करार तैयार करना:* संस्थान ने समझौता ज्ञापन/करार तैयार करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश हैं।
- समझौता ज्ञापन/करार तैयार करने के लिए कृपया खंड- III देखें ("आरएंडडी कार्यालय के कार्य")।
- विभिन्न प्रकार के कुछ समझौता ज्ञापनों के प्रारू प संस्थान की वेबसाइट http://www.iiserb.ac.in पर उपलब्ध है।
- जब समझौता ज्ञापन सभी प्रकार से सही है और दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य हो तो इसे टिप्पण फाइल (समझौता ज्ञापन का सार) के साथ अनुमोदनार्थ निदेशक , आईआईएसईआरबी को भेजा जाता है।
- अनुमोदन होने पर पीआई /एचओडी/डीओआरडी/डीडी/निदेशक, जैसा भी मामला हो , गवाहों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- *परियोजना जिम्मेदारी:* इन परियोजनाओं की अध्यक्षता प्रधान अन्वेषक (पीआई) द्वारा की जाती है और उनके साथ सह- प्रधान अन्वेषक (सह-पीआई)/प्रशासनिक पीआई (यदि पीआई के बाहर होने की स्थिति में परियोजना के संचालन के लिए) होते हैं और डेलीबरेलब पीआई की जिम्मेदारी होते हैं। संस्थान पीआई को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
- परियोजना संस्वीकृति होने के पश्चात् परियोजना के आगे और पंजीकरण तथा संचालन के लिए कृपया खंड-III (आरएंडडी कार्यालय के कार्यकलाप) देखें।
- परियोजना पूरी होने के पश्चात् निधियन एजेंसी को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर निधियन एजेंसी से एक संपूर्णतः

प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा जिसके आधार पर परियोजना का खाता बंद कर दिया जाएगा।

- *आरएंडडी कार्यालय के कार्यकलापः* यह कार्यालय संस्थान और उद्योग जगत /सरकारी निकायों के बीच विशिष्ट समस्याओं जो सामान्यतः लघु अवधि की होती हैं के साथ परामर्शी परियोजनाओं के लिए संपर्क के रूप में कार्य करता है।

घ. परीक्षण परियोजनाएं

यह शब्द किसी मानक के लिए किसी घटक अथवा उत्पाद की जांच करने से संबंधित है। इसके उदाहरण निर्माण में कंकरीट की मजबूती का परीक्षण, मृदा की मजबूती का प्रभाव , प्रेशर गॉ ज का केलीब्रे शन तथा अज्ञात प्रजातियों की रसायनिक पहचान हो सकती हैं। सामान्यतः परीक्षण में सामान्य उद्देश्य की प्रयोगशालाओं को शामिल किया जाता है और इसमें बृहत तैयारी अथवा आंकड़ों के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती हैं।

निर्देशी टिप्पणियां:

- परियोजना के समग्र संचालन की प्रक्रिया किसी परामर्शी परियोजना की प्रक्रिया के समान होगी।
- समझौता ज्ञापन/करार को हस्ताक्षर हेतु डीन, अनुसंधान एवं विकास (इसे एचओडी/केंद्र प्रमुख द्वारा प्रेषित किए जाने के पश्चात्) को प्रस्तुत किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेषण आवश्यक है कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों और परियोजना का निष्पादन किया जा सके।
- ऐसे समझौता ज्ञा पन/करार जो सभी शर्तों को पूरा करता हो , के लिए सेवा कर तत्काल अनुमोदित किया जाएगा। मानदंडों से किसी भी विपथन पर विचार- विमर्श किया जाएगा और स्पष्ट रूप से इसका अनुमोदन करना अपेक्षित होगा। किसी भी छूट के लिए अनुमोदन प्राधिकारी डीन होगा।
- आरएंडडी कार्यालय प्र स्ताव का समुचित रिकॉर्ड तैयार करेगा और उसके पश्चात् संस्थान के पत्र के साथ संबंधित एजेंसी को परियोजना प्रस्ताव मेल करेगा। वैकल्पिक रूप से इसे एजेंसी को प्रेषण हेतु पीआई को दिया जा सकता है।
- प्रस्ताव की सॉफ्ट प्रति रिकॉर्ड के लिए कार्यालय को भेजी जाएगी। सभी परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए डीन, आरएंडडी सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- *ऊपरी व्यय तथा सेवा करः* परीक्षण परियोजनाओं से ऊपरी व्यय नहीं काटा जाता है। लागू दरों पर सेवा कर काटा जाता है। विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं और विदेशी मुद्रा में प्रा प्त निधियों के लिए सेवा कर नहीं काटा जाता है। अतिरिक्त सूचना के लिए कृपया खंड -III ("आरएंडडी कार्यालय के कार्यकलाप ") देखें।

- सेवा कर काटने के पश्चात् परीक्षण की बाकी राशि को संस्थान के लिए 34%, विभागीय पदोन्नति खाते (डीपीए) के लिए 33% और भागीदार कर्मचारि यों के बीच वितरण के लिए 33% के रूप में बांटा जाता है।

परियोजना संस्वीकृत होने के पश्चात् परियोजना के पंजीकरण तथा संचालन के लिए कृपया खंड-III ("आरएंडडी कार्यालय के कार्यकलाप") देखें।

प्रमाणनः

संस्थान (अपने संकाय के माध्यम से) किसी भी रूप में *प्रमाणन के लिए प्राधिकृत नहीं है* । अधिक से अधिक कोई यह कह सकता है कि किसी दिन दिए गए नमू ने के साथ एक सुपरिभाषित परीक्षण के निम्नलिखित परिणाम निकलें।

ङ. विशेष अनुदान

कई बार , संस्थान को अवसंरचना सुधार , प्रयोगशाला सुधार , सम्मेलनों में भाग लेने (डीएसटी/सीएसआईआर इत्यादि से), दान (उदाहरणार्थ एल्यूमिनी), इत्यादि, जहां किसी प्रत्यक्ष उपभोज्य की परिकल्पना नहीं की गई है, के उद्देश्य से विशेष अनुदान दिया जाता है।

निर्देशी टिप्पणियां:

- ऐसे अनुदान को संचालन कारणों से एक परियोजना के रूप में लिया जाता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए सं स्थान के ऊपरी व्यय को कम किया जा सकता है अथवा उसमें छूट दी जा सकती है। इसका निर्णय डीन द्वारा मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा।

च. यात्रा अनुदान

निधियन एजेंसी द्वारा विशिष्ट यात्रा सहायता के लिए यात्रा सहायता दी जाती है। सभी यात्रा खर्चों का भुगतान इसी खाते से किया जाता है।

निर्देशी टिप्पणियां:

- किसी यात्रा अग्रिम लेने तथा ऐसे अनुदान से हुए यात्रा खर्च के निपटान अथवा प्रतिपूर्ति के लिए कृपया खंड III की मद 27 (आरएंडडी कार्यालय के कार्यकलाप) का संदर्भ लें।

छ. शोध उपकरण के अर्जन हेतु समिति (सीएआरई)

शोध के क्षेत्र में जहां लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है अथवा शोध के नए प्रमुख क्षेत्रों के लिए मुख्य उपकरण इस सीएआरई योजना का मुख्य संकेंद्रण हैं। प्रमुख शोध उपकरण की खरीद के लिए संस्थान के संकाय सदस्यों के एक समूह से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। प्र त्येक वर्ष, 2.5-3 करोड़ रुपए की राशि सीएआरई योजना के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। निदेशक द्वारा डीओआरडी की अध्यक्षता में वार्षिक आधार पर एक समिति का गठन किया जाएगा।

प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने के पश्चात् इस योजना के अंतर्गत उपकरण की खरीद के लिए कृपया खंड-III (आरएंडडी कार्यालय के कार्यकलाप) का संदर्भ लें।

निर्देशी टिप्पणियां:

- प्रस्ताव प्रस्तुत करनाः शामिल प्रपत्र के अनुसार प्रस्ताव इस पुस्तिका के अगले खंड में यथा प्रदर्शित योजना के कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए डीओआरडी कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- प्रस्तावों को संबद्ध विभाग /केंद्रों के प्रमुखों द्वारा समुचित रूप से अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक होगा। यह अनिवार्य है कि प्रस्ताव में न्यूनतम दो विभाग /केंद्र तथा न्यूनतम छः उपभोक्ता शामिल हो जिनकी प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से पहचान की जाएगी। प्रस्तावक एक विभाग /केंद्र की प्रस्ताव के प्रमुख विभाग /केंद्र के रूप में पहचान करेगा। प्रस्ताव से संबद्ध अन्य विभागों /केंद्रों के प्रमुखों द्वारा भी प्रमुख विभाग/केंद्र के प्रमुख के साथ प्रस्ताव को सह- अग्रेषित करना अपेक्षित होगा। प्रमुख विभाग/केंद्र से आवश्यक अवसंरचना सहायता में महत्वपूर्ण योगदान देने की आशा की जाती है, जैसे कि स्थान तथा जनशक्ति , खरीदे जाने वाले उपकरण हेतु सहायता। अन्य संबद्ध विभाग /केंद्र उपकरण के संचालन और अनुरक्षण की लागत के रूप में योगदान दे सकते हैं जिसका डीओआरडी द्वारा यथोचित अनुमोदित उपभोक्ता समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- यह माना जाता है कि प्रस्तावक /विभाग/केंद्र प्रमुख सभी भागीदार उपभोक्ताओं अथवा बाद में पहचाने गए संस्थान के किसी नए उपभोक्ता को बिना किसी भेदभाव के समुचित पहुंच सुनिश्चित करेगा जिस सुविधा को संस्थान में किसी अन्य इकाई/विभाग को ह स्तांतरित किया जा सकेगा। किसी विभाग /केंद्र से प्रस्तावों की संख्या के बारे कोई प्रतिबंध नहीं है। सीएआरई समिति सभी प्रस्तावों की समीक्षा करेगी। समिति की अध्यक्षता डीन , आरएंडडी द्वारा की जाएगी और समिति के सदस्यों की नियुक्ति निदेशक द्वारा की जाएगी। इसकी सिफा रिशों को निदेशक को

अग्रेषित किया जाएगा तथा डीन तथा आरएंडडी निदेशक के अनुमोदन के अनुसार अंतिम घोषणा करेगा।

ज. अध्येतावृत्ति

3 प्रकार की अध्येतावृत्तियां हैः

- **छात्र अध्येतावृत्तिः** यह अध्येतावृत्ति एक निधियन एजेंसी जैसे कि सीएसआईआर/यूजीसी/आईसीएमआर/डीबीटी इत्यादि द्वारा छात्रों को प्रदान की जाती है। छात्र इन अध्येतावृत्तियों के लिए सीएसआईआर अथवा यूजीसी को आवेदन करते है।
- **व्यावसायिक अध्येतावृत्तिः** संकाय सदस्य विभिन्न अध्येतावृत्तियों उदाहरणार्थ बॉयसकास्ट, स्वर्णजयंती, रमन्ना, जे.सी. बोस इत्यादि के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता की शर्त को पूरा करते हो। उन्हें आवेदन के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। निधियन एजेंसी अध्येतावृत्ति प्रदान करने की घोषणा करती है।
- **एमेरिटस अध्येतावृत्तिः** सेवानिवृत्त संकाय सदस्य यूजीसी तथा एआईसीटीई को इन अध्येतावृत्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं।

निर्देशी टिप्पणियां:

- छात्र अध्येतावृत्तियों के मामले में संस्वीकृति पत्र संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसके आधार पर छात्र को वेतन जारी किया जाता है।
- व्यावसायिक अध्येतावृत्तियों के मामले में संकाय सदस्य अध्येतावृत्तियों उदाहरणार्थ स्वर्णजयंती, रमन्ना, जे.सी. बोस इत्यादि के लिए आवेदन करते हैं । उन्हें आवेदन के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। निधियन एजेंसी अध्येतावृत्ति प्रदान करने की घोषणा करती है।
- इस मामले में प्राप्त अध्येतावृत्ति के लि ए कार्यालय में सामान्य परियोजना खाता खोला जाता है। परियोजना का संचालन किसी अन्य परियोजना खाते की तरह ही किया जाता है।
- एमेरिटस अध्येतावृत्ति के लिए सेवानिवृत्ति संकाय सदस्य यूजीसी , एआईसीटीई को अध्येतावृत्तियों के लिए आवदेन करते हैं। ऐसी अध्येतावृत्ति प्राप्त होने के पश्चात् संकाय सदस्य को नियुक्ति पत्र दिया जाता है जो संस्थान में कार्य करना आरंभ करता है और आरएंडडी कार्यालय द्वारा वेतन जारी किया जाता है।

- अध्येतावृत्ति प्रबंधन प्रकोष्ठ को , यदि आवश्यक समझा जाए , तो संस्थान के अध्येतावृत्ति प्रबंधन प्रकोष्ठ के साथ समेकित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से अध्येतावृत्ति प्रबंधन प्रकोष्ठ को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य निधियन एजेंसियों द्वारा प्रदत्त अध्येतावृत्तियों के लिए डीओआरडी के अंतर्गत रखा जा सकता है।

झ. एसएंडटी अवसंरचना के उन्नयन हेतु कोष (एफआईएसटी)

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) में विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए एफआईएसटी की योजना है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षण तथा शोध में अभिज्ञात विभाग की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान दिया जाता है और इसे अनन्य रूप से उक्त उद्देश्य के लिए व्यय करना अपेक्षित होता है।

निर्देशी टिप्पणियां:

- प्राप्त अनुदान के लिए कार्यालय में एफआईएसटी खाता खोला जाता है। इस परियोजना का संचालन किसी अन्य परियोजना खाते की तरह ही किया जाता है।

ञ. डायनेमिक इन्सेंटिव स्कीम

डायनेमिक इन्सेंटिव स्कीम उन संकाय सदस्यों के लिए लागू होगी जो रामालिंगास्वामी अध्येतावृत्ति, रामानुजन अध्येतावृत्ति इत्यादि जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित अध्येतावृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें प्राप्त करने वालों को संस्थान के नियमों के अनुसार भत्ते तथा मूल वेतन और मंहगाई भत्ते के स्थान पर अध्येतावृत्ति राशि लेने की अनुमति दी जाएगी , जहां तक अध्येतावृत्ति की राशि मौजूदा प्राप्तकर्ता द्वारा लिए जाने वाले मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते से अधिक हो।

विगत में यह देखा गया है कि अध्येतावृत्ति की राशि मूल वेतन त था मंहगाई भत्ते की कुल राशि की तुलना में कम होती है जो संकाय सदस्यों की कैरियर उन्नति के क्रम में अध्येतावृत्तियां स्वीकार करने का निरुत्साही करने वाला कारक है।

इस निरूत्साही कारक रोकने तथा अध्येतावृत्तियों के प्राप्तकर्ता के रूप में उनकी विशिष्टता को मान्यता प्रदान करते हुए शासी बोर्ड (बीओजी) द्वारा निम्नलिखित कदमों का अनुमोदन किया गया है।

1. वैयक्तिक संकाय सदस्य जिन्हें ऐसी अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई हैं , वे वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन में लागू भत्ते तथा अध्येतावृत्ति लेने का विकल्प चुन सकते हैं।
2. उपरोक्त अध्येतावृत्ति लेने का विकल्प चुनने के पश्चात् यदि अध्येतावृत्ति की राशि उस पद के लिए लागू मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते की राशि से कम हो तो संकाय सदस्य को एक विशेष डायनेमिक इन्सेंटिव दिया जा सकता है ताकि उसे अध्येतावृत्ति स्वीकार करने तथा घाटे से बचने में प्रोत्साहित किया जा सके।
3. विशेष प्रोत्साहन की राशि परिलब्धियों के अंतर (वेतन + ग्रेड वेतन तथा लागू मंहगाई भत्ता) घटा अध्येतावृत्ति की राशि होगी। डायनेमिक इन्सेंटिव राशि का भुगतान मूल वेतन (वेतन + ग्रेड वेतन + मंहगाई भत्ता) अध्येतावृत्ति की राशि से अधिक हो जाने वाले दिन से प्रभावी हो जाएगा। डायनेमिक इन्सेंटिव अध्येतावृत्ति की समुची अवधि के लिए प्रत्येक माह दिया जाएगा।

शासी बोर्ड द्वारा दिनांक 03.10.2012 को आयोजित अपनी 11वीं बैठक में मद संख्या 11.7 द्वारा अनुमोदित

7. केंद्रीय उपकरण सुविधा (सीआईएफ)

केंद्रीय उपकरण सुविधा (सीआईएफ) वर्तमान में आईआईएसईआर, भोपाल के बहुरी परिसर में संचालनरत एक अंतर- विषयक साझेदार केंद्रीय सुविधा है। सीआईएफ में अत्याधुनिक उपकरण हैं और इन्हें शोध के लिए नवीनतम तथा प्रोन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों की एक **केंद्रीय सुविधा** प्रदान करने के **उद्देश्य** से सृजित किया गया था। इस सुविधा का उद्देश्य संस्थान के सभी विभागों तथा **शैक्षिक** शोध **संस्थानों** एवं निजी कं**पनियों/उद्योग जगत जैसे बाह्य संगठनों और आंशिक शुल्क पर भोपाल के बाहर संगठनों** को विशिष्ट शोध सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार, यह सभी शोधकर्ताओं और शिक्षकों को उच्च गुणवत्तापरक तथा लागत-प्रभावी पहुंच प्रदान करेगा।

सीआईएफ का प्रयास सतत् स्तरोन्नयन और संकाय सदस्यों का सुधार करना है , यह संकाय सदस्यों की गुणवत्ता , संचालनात्मकता और लोचशीलता को लागत सक्ष म तरीके से बनाए रखते हुए संचालित करेगा और अंतर-विषयक शोध का संवर्धन करेगा।

8. विज्ञान शिक्षा विकास केंद्र (सीडीएसई)

स्वःवित्त-पोषण कार्यक्रमः

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अत्याधुनिक विषयों में प्रदर्शन के अवसर प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान के संकाय और शैक्षिक कर्मचारी विभिन्न आईआईएसईआर ,

आईआईटी, आईआईआईटी और एनआईटी, सरकारी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों , निजी कॉलेजों के संकाय सदस्यों, राष्ट्रीय शोध एवं विकास प्रयोगशालाओं के शोधकर्ताओं तथा निजी उद्योगों के व्यावसायिकों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करता है। भागीदारों के लिए पाठ्यक्रम गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। उद्योग जगत से संबद्ध भागीदार इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करते हैं। ये पाठ्यक्रम एक सप्ताह से दो सप्ताह की अवधि के होते हैं तथा इनसे गहन अनुभव प्राप्त किया जा सकता है।

संस्थान का उद्देश्य ऐसे पाठ्यक्रमों को ऊंचे स्तर पर ले जाने में प्रोत्साहित करना है ताकि वे कार्यरत व्यावसायियों में कौशल विकास में योगदान कर सकें और साथ ही संस्थान के लिए राजस्व पैदा कर सकें।

सम्मेलन/सिम्पोजियम/कार्यशालाएं आयोजित करनाः

सम्मेलन/सिम्पोजियम/कार्यशालाएं शैक्षिक एवं शोध जगत का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा विश्व भर से शिक्षा विद् सम्मेलनों के आयोजन का स्वैच्छिक रूप से प्रयास करते हैं। सामान्यतः वे संगठन जहां ऐसे स्वयं सेवक कार्य करते हैं , इन सम्मेलनों के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करते हैं। सं स्थान सम्मेलनों के आयोजन के लिए भी सहायता प्रदान करता है जो संस्थान की ब्रांड छवि के निर्माण में सहायक होता है।

संस्थान अपनी सुविधाओं का सम्मेलनों के लिए उपयोग करने को प्रोत्साहित करता है। इन सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्क लिया जाएगा और यह आशा की जाती है कि इन सम्मेलनों का संस्थान के नियमित शैक्षिक कार्यों पर न्यूनतम अथवा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निर्देशी टिप्पणियां:

- किसी स्वः वित्त- पोषण पाठ्यक्रम, कार्यशाला, सम्मेलन, सेमिनार के आयोजन के लिए अनुरोध प्रमुख, सीडीएसई के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित होता है। सीडीएसई पीआई की अतिथि गृह, इवेंट प्रबंधन तथा ऑडिटोरियम जैसे संस्थान के संसाधनों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
- यदि कोई संकाय (अथवा शोध कर्मचारी) सदस्य सम्मेलन के आयोजक समूह का भाग है तो संस्थान सम्मेलन इवेंट के नाम में एक पृथक बैंक खाता खोलने की अनुमति प्रदान करेगा (तथा उसे सुकर बनाएगा) जिसे संस्थान के उस संकाय सदस्य जो इवेंट से संबद्ध हो और कुछ अन्य सम्मेलन आयोजक (सामान्य चेयर अथवा वित्त चेयर) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। ऐसे खाते केवल अनिवार्य अनुमति द्वारा ही खोले जा सकते हैं और इन्हें इवेंट पूरा होने के छः माह के भीतर

बंद करवाना अनिवार्य होता है। खातों को बंद किए जाने से पहले संस्थान द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा इनकी लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। खातों के संचालन , कर वचनबद्धता इत्यादि पूरी करने की संपूर्ण जिम्मेदारी सम्मेलन के आयोजकों की होगी - संस्थान केवल सुविधा प्रदानकर्ता होगा।

- स्वःवित्त-पोषण पाठ्यक्रमों के मामले में कुल प्राप्ति (पंजीकरण तथा अनुदान) का 15 प्रतिशत संस्थान के सीडीएसई खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
- ऊपरी व्यय के आकलन के लिए कृपया इस मैनुअल के खंड II में गाइड लाइन XIV देखें।

9. पेटेंट दायर करना और उनका प्रबंधन

संस्थान के कार्य क्षेत्र और शोध के अध्ययन में सहयोगी परियोजनाओं , प्रौद्योगिकी मिशन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा आईपीआर को शामिल करते हुए अत्यधिक प्रगति हुई हैं।

आईपीआर संस्थान अथवा बाह्य एजेंसियों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं के संबंध में संस्थान में कार्य करते हुए संकाय द्वारा सृजित किए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार विश्व अर्थव्यवस्था में अनिवार्य हैं। संस्थान को अपने अधिकार यथासंभव प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आईपीआर की साझेदारी का निर्णय निधिय न एजेंसी के साथ वार्तालाप और मामला दर मामला आधार पर लिया जाता है। आईपीआर साझा करने और उनके वाणिज्यीकरण के लिए संस्थान ने बोर्ड अनुमोदन नीतिः http://www.iiserb.ac.in/IP_Policy.pdg है। ये आईपीआर संकाय सदस्य/कर्मचारियों/छात्रों द्वारा वयैक्तिक रूप से अथवा सहयोग द्वारा सृजित की जाती हैं , किसी राजस्व के उद्देश्य के लिए वे संस्थान की संपदा मानी जाएंगी। संस्थान मामला दर मामला आधार पर ऐसे आईपीआर की बिक्री/लीज/अधिकार प्रदान करने इत्यादि से प्राप्त राजस्व को साझा करने के संबंध में आईपीआर के सृजकों के साथ करार करेगा।

10. समझौता ज्ञापन, अनुबंध/करार

संस्थान की शोध नीति राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अंतर- विभागीय सहयोग से आगे बढ़कर अंतर-संस्थान भागीदारी तक पहुंच गई हैं। संस्थान को शोध के लिए अपने सहयोगी शोध प्रयासों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक /शोध संस्थाओं तथा उद्योगों के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापन /अनुबंध/करार पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य वैज्ञानिक तथा शैक्षिक सहयोग का संवर्धन , सुदृढ़ीकरण, अनुरक्षण, संकाय, छात्र, कर्मचारियों का आदान प्रदान , प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इंजीनियरिंग

शोध तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य से बौद्धिक संपदा साझा करना , समान हित के वैज्ञानिक उपकरणों को साझा करना है।

एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, संगठनों तथा कंपनियों के साथ ये शो ध/शैक्षिक करार करते हुए तैयार किए जाने वाले दस्तावेज को सही भाषा में तैयार किया जाना आवश्यक होता है। इन दस्तावेज में कानूनी मुद्दे शामिल होते हैं और इसलिए वे कुछ परिस्थितियों में काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

निर्देशी टिप्पणियां:

- समझौता ज्ञापन/अनुबंध/करार तैयार करने के लिए संस्थान में उसकी वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
- शासी बोर्ड, आईआईएसईआरबी ने समझौता ज्ञापन/अनुबंध/करार तैयार करने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की सिद्धांततः अनुमति प्रदान कर दी है।
- कुछ नमूना /विभिन्न प्रकार के प्रा रूप समझौता ज्ञापन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- बाह्य एजेंसियों के साथ आईआईएसईआरबी के कुछ नमूना समझौता ज्ञापन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- समझौता ज्ञापन की जांच करवाने और आगे उस पर कार्रवाई करने तथा फाइल को नोट करने के लिए कृपया खंड III ("आरएंडडी कार्यालय के कार्यकलाप") देखें।

*****

खंड - II

दिशा-निर्देश

11. ऊपरी व्यय तथा सेवा कर

पृष्ठभूमिः

i) परियोजना की लागत का अर्थ परियोजना के दौरान पीआई द्वारा व्यय की गई लागत है। इसमें उपकरण, वेतन, यात्रा, उपभोज्य तथा आकस्मिकता शामिल हैं।

ii) ऊपरी व्यय का अर्थ निधियन एजेंसी /संगठन/उद्योग द्वारा अनुमोदित अनुदान से संस्थान को देय भुगतान हैं।

iii) प्रायोजित परियोजना का अर्थ वह परियोजना है जिसमें पीआई मूल शोध करता है। सामान्यतः ऐसी परियोजनाओं में मानदेय के भुगतान का प्रावधान नहीं है (यद्यपि अपवाद संभव है)।

iv) परामर्शी परियाजनाओं में पीआई के पूर्व कौशल तथा सक्षमता का उपयोग किया जाता है। वे पीआई को मानदेय लेने की अनुमति प्रदान करते हैं (संस्थान के कर्मचारियों को भुगतान सहित)। ये भुगतान नगद में अथवा संबंधित व्यावसायिक विकास खाते (पीडीए) में जमा के रूप में हो सकते हैं।

v) परीक्षण का अर्थ काफी सीमित अवधि की गतिविधि है जिसमें गणना अथवा माप शामिल होते हैं।

vi) सभी परामर्शी और परीक्षण परियोजनाओं के लिए सेवा कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

vii) मानदेय के भुगतान के लिए मानदंड अलग से दिए गए हैं।

ऊपरी खर्च की गणनाः

1. **प्रायोजित शोध परियोजनाएं:** प्रायोजित शोध हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों को परियोजना लागत पर 20% का ऊपरी व्यय दर्शाना आवश्यक होता है। [उदाहरणः यदि परियोजना आवश्यकता X इकाई है, तो ऊपरी व्यय 0.2X इकाई होगा और कुल बजट 1.2X ईकाई के लिए होगा।]

   यदि निधियन एजेंसी से राशि प्राप्त की जाती है तो यथा अनुमोदित ऊपरी व्यय काटा जाएगा। जब राशि समेकित राशि के रूप में किसी निजी संगठन से प्राप्त की जाती है तो 16.7% ऊपरी व्यय के रूप में काटा जाएगा।

2. **परामर्शी परियोजनाएं:** प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय बजट परियोजना लागत (X), 25% पर ऊपरी खर्च (X_1= 0.25X) तथा 10.3% पर सेवा कर (X_2=(X+X_1) का 10.3%) प्रदर्शित करेगा। सेवा कर भारत सरकार द्वारा आवधिक संशोधन के अधीन है।

जब राशि निधियन एजेंसी से इकट्ठी प्राप्त की जाती है तो निम्निलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सर्वप्रथम, **सेवा कर** =({प्राप्त कुल राशि/110.3} X 10.3) काटा जाता है। इसके पश्चात्, बाकी निधियों से संस्थान का ऊपरी खर्च = ({सेवा कर काटने के पश्चात् निधि/125} X25) काटा जाता है। बाकी निधियों को परियोजना के बजटीय आबंटन के अनुसार परियोजना खाते में लिया जाता है।

सेवा कर को भारत सरकार के नियमों के अनुसरण में समुचित खाते में जमा करवाया जाएगा।

यदि, निधियन एजेंसी/संगठन परियोजना के अंत में सेवा कर में पुनः दावे प्रस्तुत करते हैं तो उपकरण में सेवा कर में छूट दी जाती है , जो प्रस्ताव का हिस्सा होना चाहिए।

यदि निधियां विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती हैं तो सेवा कर नहीं काटा जाता है।

3. **पाठ्यक्रमः** लघु अवधि पाठ्यक्रमों , सम्मेलनों, कार्यशलाओं और संगोष्ठियों के लिए कुल प्राप्तियों (पंजीकरण तथा अनुदान) का 15% संस्थान के सीडीएसई खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

   क. क्यूआईपी, आईएसटीई और डीएसटी- प्रकार के पाठ्य क्रमों के लिए निर्धारित मानदंड लागू होंगे।

   ख. आईआईएसईआर भोपाल से बाहर संचालित पाठ्यक्रमों के लिए 15% ऊपरी व्यय का भुगतान किया जाएगा।

4. **परीक्षणः** सेवा कर काटने के पश्चात् परीक्षण की बाकी प्राप्ति को 34% संस्थान, 33% डीपीए, 33% वितरण (भागीदार कर्मचारियों के बीच) के अनुसार वितरित किया जाता है।

5. **वितरणः** प्रायोजित और परामर्शी परियोजनाओं तथा पाठ्यक्रमों और सम्मेलनों से एकत्रित ऊपरी व्यय (क) को संस्थान के भीतर निम्नानुसार वितरित किया जाता हैः

परियोजना की प्रकृति	**ऊपरी व्यय %**	**विभिन्न ईकाइयों के ऊपरी खर्च का हिस्सा**		
		संस्थान	**डीपीए**	**पीडीए**
प्रायोजित	20%	0.6 ए	0.25 ए	0.15 ए
परामर्शी	25%	0.7 ए	0.3 ए	शून्य
पाठ्यक्रम	15%	0.7 ए	0.3 ए	शून्य

(आईआईएसईआरबी के भीतर)				
सम्मेलन/कार्यशाला/ संगोष्ठी	15%	0.7 ए	0.15 ए	0.15 ए
पाठ्यक्रम (आईआईएसईआरबी से बाहर)	15%	0.7 ए	0.3 ए	शून्य
परीक्षण शुल्क	34% +33% +33% =100% (कुल)	कुल प्राप्ति का 34%	कुल प्राप्ति का 33%	मानदेय/पीडीए के रूप में कुल प्राप्ति का 33%

शासी बोर्ड द्वारा दिनांक 13 मई, 2010 को आयोजित 5वीं बैठक में मद संख्या बीओजी-5.10 द्वारा अनुमोदित।

12. व्यावसायिक विकास खाता (पीडीए)

पीडीए का सृजन वैयक्तिक संकाय सदस्य द्वारा उसके कार्य ग्रहण के तुरंत बाद अनुरोध करने पर किया जाता है , और यह एक सतत् परियोजना की तरह है जिसका पीआई संबद्ध संकाय सदस्य होता है। पीडीए में आय मुख्यतः संकाय सदस्य की कुछ अन्य गतिविधि के कारण होती है।

पीडीए में क्रेडिटः

पीडीए में निम्नलिखित को क्रेडिट किया जा सकता हैः

1. प्रायोजित परियोजनाओं के ऊपरी व्यय (अनुमोदित वितरण के अनुसार)।
2. जेईई, जीएटीई, जेएसी/केवीपीवाई/आईएनएसपीआईआरई/सीधे प्रवेश तथा संस्थान की अन्य समान परीक्षाओं से अंशदान।
3. पाठ्यक्रम जारी रखने (अथवा स्वःवित्त- पोषण) अथवा कार्यशालाओं से हस्तांतरित राशि जिसे मानदेय के रूप में आहरित नहीं किया गया हो।
4. परामर्शी परियोजनाओं की बकाया राशि की संपूर्ण अथवा आंशिक राशि।
5. डीओआरडी के अनुमोदन से कोई अन्य आय।
6. सीपीडीए के अप्रयुक्त स्थिति को पीडीए को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित।

डीपीए का उपयोगः

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डीपीए का उपयोग किया जा सकता हैः

1. लैब सहित प्रयोगशाला के लिए उपकरण अथवा उपभोज्य की खरीद और उपकरण प्रयोग प्रभार।
2. शोध अथवा उससे संबद्ध विचार-विमर्श के लिए यात्रा (देश में अथवा विदेश में)।
3. सम्मेलन से संबंधित भुगतान।
4. पुस्तकों की खरीद, जर्नल अंशदान, व्यावसायिक सदस्यता।
5. शिक्षण सामग्री और शिक्षण उपकरण।
6. व्यावसायिक गतिविधियों के संवर्धन से संबंधित व्यय।
7. योग्यता प्राप्त स्टाफ की भर्ती।
8. परामर्शी खाते से मानदेय के भुगतान को छोड़कर यथा अनुमोदित कोई अन्य व्यय।
9. डीओआरडी के अनुमोदन से कोई अन्य व्यय।
10. कंप्यूटर तथा/अथवा संबद्ध उपस्करों की खरीद।
11. कार्यालय स्टेशनरी सामग्री की खरीद। प्रयोगशाला में दौरा करने वाले मेहमान के यात्रा व्यय का भुगतान।
12. टेलीफोन/ब्रॉडबैंड प्रभार।

चूंकि पीडीए को एक परियोजना के रूप में माना जाता है इ सलिए सभी खरीद परियोजना के लिए संस्थान के क्रय नियमों के अनुपालन में किए जाएंगे। इस खाते से कोई मानदेय नहीं लिया जा सकता है।

पीडीए के कोष से खरीदे गए उपकरणों के संबंध में आयकर अधिनियम की सीधी रेखा पद्धति से अवमूल्यन तय किया जाएगा। इसे अवमूल्यन के 1/- रुपए पहुंचने के पश्चात् छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार पीआई को कंप्यूटर /उपकरण की मूल लागत के 5 प्रतिशत का भुगतान करना और इसे वापस लेना अपेक्षित होगा।

13. विभागीय उन्नति खाता (डीपीए)

विभाग प्रमुख डीपीए का संचालन करता है।

डीपीए में क्रेडिटः

डीपीए में निम्नलिखित को क्रेडिट किया जा सकता हैः

1. विभाग के संकाय की प्रायोजित शोध परियोजनाओं से एकत्रित ऊपरी व्यय का 25%
2. विभाग के संकाय की परामर्शी परियोजनाओं से एकत्रित ऊपरी व्यय का 30%
3. आईआईएसईआर भोपाल में विभाग के संकाय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से एकत्रित ऊपरी व्यय का 30%

4. विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के संबंध में एकत्रित ऊपरी व्यय का 15%
5. 5. विभाग के संकाय द्वारा आईआईएसईआर भोपाल से बाहर संचालित पाठ्यक्रमों से एकत्रित ऊपरी व्यय का 30%
6. गेट/जेईई, भागीदार संकाय के अन्य निरीक्षण फीस योगदान का 20%
7. विभाग के वृत्तिदान निधि खाते से अर्जित ब्याज
8. सम्मेलन बकाया
9. परीक्षण की बकाया प्राप्ति का 33%

डीपीए का उपयोगः

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डीपीए का उपयोग किया जा सकता हैः

1. विभाग में दौरा करने वाले मेहमानों के लिए टैक्सी भाड़ा, यात्रा की प्रतिपूर्ति
2. टेलीफोन प्रभार
3. विभाग के लिए उपकरण की खरीद
4. कार्य के लिए अनुबंधीय भुगतान
5. कार्यालय प्रशासनिक व्यय (स्टेशनरी, कॉर्टेज)

14. पुस्तकें

संकाय के शोध प्रयासों के गहन परिणाम का उदाहरण वृहत लेखक अधिकारों के साथ बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन किया जाना है। आरंभ से ही पुस्त क लेखन आईआईएसईआरबी संकाय का मजबूत बिंदु रहा है। परिसर में प्रचलित ठोस शैक्षिक वातावरण संकाय सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित करता है। इस संदर्भ में सीडीएसई प्रकोष्ठ का सहयोग नोट करने लायक है।

विश्व भर में अपनाई जाने वाली पद्धतियों का अनुसरण करते हुए संकाय सदस्य अथवा शोध कर्मचारी द्वारा लिखी गई पुस्तकों को परियोजनाओं अथवा परामर्श के रूप में नहीं माना जाता है। अतः संकाय सदस्यों द्वारा लिखी गई पुस्तकों से प्राप्त रॉयल्टी संस्थान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है- संस्थान को उनकी सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

15. उद्यमशीलता सहायता

वास्तव में संस्थान प्रौद्योगिकी - आधारित क्षेत्रों में नवाचार , शोध तथा उद्यमशीलता गतिविधियों के संवर्धन हेतु उद्यमशीलता सहायता केंद्र स्थापित करना चाहेगा। इसके द्वारा

भावी उद्यमियों और उद्यम प्रबंधकों (संकाय, शैक्षिक स्टाफ, एल्यूमिनी तथा छात्रों) को आरंभिक मंच प्रदान करने की आशा की गई है ताकि उन्हें अपने विचारों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों में परिवर्तित करने में सहायता की जा सके।

3-आयामी इन्कूवेशन

- **श्रेणी I**: वे उद्यम जो वाणि ज्यिक स्थिति तक स्तरोनन्यन , प्रयोगशाला सिद्ध दृष्टिकोण में स्तरोनन्यन अथवा एक प्रौद्योगिकी व्यापार उद्यम की स्थापना के लिए आदर्श प्रौद्योगिकीय विचार का प्रयास करने के दृष्टिकोण से आईआईएसईआरबी अथवा अन्य प्रमुख संस्थानों , संस्थान द्वारा समर्थित अथवा किसी अन्य विज्ञान/प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी (सरकारी अथवा गैर- सरकारी) द्वारा समर्थित शैक्षिक कर्मचारियों, छत्रों और/अथवा एल्यूमिनी के एक अथवा अधिक सदस्यों द्वारा आरंभ की गई नर्सरी इन्कुवेशन परियोजना के रूप में योग्य हों।

- **श्रेणी II**: वाणिज्यिक स्थिति तक स्तरोनन्यन , प्रयोगशाला सिद्ध दृष्टिकोण में स्तरोनन्यन अथवा एक प्रौद्योगिकी व्यापार उद्यम की स्थापना के लिए आदर्श प्रौद्योगिकीय विचार का प्रयास करने के दृष्टिकोण से संस्थान अथवा कंपनी के साथ आरएंडडी भागीदारी के इच्छुक प्रथम युग उद्यमियों द्वारा संवर्धित प्रौद्योगिकी आधारित आरंभिक कंपनी।

- **श्रेणी III**: मौजूदा लघु/मध्यम आकार के उद्यम, उद्योग संघ अथवा आरएंडडी कंपनी जो संस्थान के साथ निकट प्रौद्योगिकी इंटरफेस की इच्छुक हो , की प्रौद्योगिकी/आरएंडडी इकाई।

मूल्यांकन समति द्वारा सदस्यता के लिए अनुमोदित प्रत्येक सफल आवेदन को संस्था न के साथ स्थल उपयोग के लिए लाइसेंस करार तथा संस्थान के साथ नीतिगत सहयोग के संबंध में एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा।

केंद्र बीजक राशि , परिसर स्थान, संकाय सदस्य द्वारा परामर्श , व्यापार योजना विकास, व्यापार संवर्धन, इन्कूबेशन स्थान, कार्यालय सहायता, पुस्तकालय एवं दस्तावेजीकरण, धन प्राप्त करने में सहायता, विज्ञापन एजेंसियां, विधि विशेषज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक तथा एनीमेशन सैल की उन्नति तथा संस्थान के संसाधनों तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा।

16. बौद्धिक संपदा अधिकार

बौद्धिक संपदा नीति दस्तावेज

I. बौद्धिक संपदा स्वामित्व

क. *आईआईएसईआरबी स्वामित्व*

1. संकाय, छात्रों, कर्मचारियों, परियोजना के कर्मचारियों, आगंतुकों और अन्यों जैसे कि अन्य संस्थानों से प्रशिक्षु , आईआईएसईआरबी कार्यक्रमों भाग लेने वाले अथवा आईआईएसईआरबी निधियों अथवा सुविधाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा सृजित किसी भी प्रकार की बौद्धिक संपदा निम्नलिखित में से किसी भी बात पर लागू होने पर आईआईएसईआरबी द्वारा रखी जाती हैः

क) बौद्धिक संपदा का सृजन आईआईएसईआरबी द्वारा स्थापित कोष अथवा सुविधाओं के अत्यधिक उपयोग से किया गया हो।

ख) बौद्धिक संपदा का सृजन (i) सामान्य व्यावसायिक शुल्क के भाग के रूप में अथवा (ii) किराये पर किए गए कार्य के रूप में किया गया हो।

ग) बौद्धिक संपदा का सृजन आईआईएसईआरबी के साथ प्रायोजक /परामर्शी शोध करार के क्रम में अथवा उसके अनुसरण में किया गया हो। ऐसे मामलों में ऐसी गतिविधि का अभिशासन करने वाले अनुबंध में आईपी को किए गए संबद्ध विशिष्ट प्रावधान आईपी के स्वामित्व का निर्धारण करेंगे।

घ) बौद्धिक संपदा का सृजन शैक्षिक शोध तथा प्रशिक्षक के भाग रूप में किया गया हो जिससे डिग्री अथवा अन्यथा प्रदान किया जाए।

2. कॉपीराइट सॉफ्टवेयर सहित सभी कॉपीराइट आईआईएसईआरबी के स्वामित्व में होंगे जबकि इसे आईआईएसईआरबी के शैक्षिक कार्यक्रमों के भाग के रूप में सृजित किया गया हो अथवा आईआईएसईआरबी के साथ एक लिखित दस्तावेज के अनुसरण में सृजित किया गया हो, जिसमें आईआईएसईआरबी को कॉपीराइट अथवा स्वामित्व के हस्तांतरण का प्रावधान किया गया हो। अधिक विशिष्ट रूप सेः

क) आईआईएसईआरबी द्वारा सृजित सभी शिक्षण सामग्रियों और आईआईएसईआरबी के सतत शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत

बाह्य एजेंसियों , संस्थाओं तथा उद्योग के लिए गैर- आईआईएसईआरबी व्यक्तियों द्वारा सृजि त सभी शिक्षण सामग्रियों के संबंध में कॉपीराइट का स्वामित्व आईआईएसईआरबी का होगा। तथापि, लेखकों को अपनी शिक्षण एवं शोध गतिविधियों के लिए इन सामग्रियों को प्रयोग करने का अधिकार होगा।

ख) आईआईएसईआरबी के व्यक्तियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों एवं वैज्ञानिक लेखों के संबंध में आईआईएसईआरबी कॉपीराइट के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा। यदि पुस्तकें और रिपोर्ट आईआईएसईआरबी द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रदत्त निधियों का प्रयोग करते हुए सृजित की गई हैं तो आईआईएसईआरबी का कॉपीराइट अधिकार होगा।

ख. ***आविष्कारक/लेखक स्वामित्व***

1. आविष्कार/लेखक बौद्धिक संपदा का स्वामित्व उस स्थिति में करेगा जबकि

क) बौद्धिक संपदा के आईआईएसईआरबी के स्वामित्व की उपर्युक्त परिभाषित कोई भी स्थिति लागू नहीं हो।

ख) इसका सृजन शोध /शिक्षण के सौंपे गए /सामान्य क्षेत्र के बाहर हुआ हो , उदाहरण के लिए लोक प्रिय उपन्यास , कविताएं, संगीत संरचना अथवा संस्थान के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किए बगैर कलात्मक रचना के अन्य कार्य।

2. छात्रों को उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के भाग के रूप में सृजित थी सिस/शोध प्रबंध के संबंध में कॉपीराइट का अधिकार होगा। तथापि , छात्रों को आईआईएसईआरबी को शिक्षण तथा शोध एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं को शोध तथा शिक्षण के लिए प्रसार हेतु प्रतियां पुनः तैयार करने और वितरित करने की रॉयल्टी- मुक्त अनुमति देनी अनिवार्य होगी।

3. सॉफ्टवेयर कोड, पेटेंट योग्य विषय-वस्तु तथा थीसिस/रिपोर्टों में निहित अन्य बौद्धिक संपदा का स्वामित्व आईआईएसई आरबी-स्वामित्व तथा आविष्कारक /लेखक के स्वामित्व के अंतर्गत विशिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

ग. ***तृतीय पक्ष का स्वामित्व***

1. निम्नलिखित के परिणामस्वरूप बौद्धिक संपदा का स्वामित्वः

क) तीसरे पक्ष द्वारा आईआईएसईआरबी को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से प्रदत्त निधियों को तीसरे पक्ष और आईआईएसईआरबी के बीच अनुबंध के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

ख) आईआईएसईआरबी तथा अन्य संस्थाओं के बीच आदान- प्रदान कार्यक्रम तीसरे पक्ष और आईआईएसईआरबी के बीच अनुबंध के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

ग) यदि ऐसा कोई विशिष्ट अनुबंध मौजूद नहीं है तो बौद्धिक संपदा का अधिकार आईआईएसईआरबी का होगा।

2. आईआईएसईआरबी द्वारा तैयार किए गए सभी आईपी के मामले में आईआईएसईआरबी गोपनीयता तर्क जहां आईआईएसईआरबी द्वारा ऐसा प्रविष्टि किया गया हो, के साथ सतत् रूप से शिक्षण एवं शोध गतिविधियों के लिए आई पी की प्रति/उपयोग हेतु गैर-अनन्य, मुक्त, गैर-वापसी योग्य लाइसेंस अपने पास रखेगा।

3. ऐसे मामलों जहां आईपी का सृजन आईआईएसईआरबी क्रमिकों द्वारा पूर्णतः अथवा दल के भाग के रूप में प्रतिनियुक्ति के दौरान , अधिकारिक अवकाश , अथवा सबाशियल के दौरान किया जाता है तो संबद्ध आईआईएसईआरबी क्रमिक को आईपी की सूचना अधिकारिक रूप से आईआईएसईआरबी को देनी चाहिए। यदि आईपी में संस्थान के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हुए पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से तैयार किए गए विचार /सॉफ्टवेयर शामिल है तो भी आईआईएसईआरबी का पूर्णतः और आंशिक रूप से जैसा भी मामला हो, स्वामित्व आईआईएसईआरबी द्वारा किया जाएगा।

II. अधिकारों का प्रकटन, गोपनीयता और उन्हें सौंपना

1. प्रायोजित तथा/अथवा सहयोगी कार्य के लिए आईपी के प्रकटन से संबंधित अनुबंध के करार लागू होंगे।

2. आईआईएसईआरबी में तैयार सभी अन्य आईपी के लिए आविष्कारकर्ता को अपनी आईपी का **आईपीडीएफ** (बौद्धिक संपदा प्रकटन फॉर्म) का प्रयोग करते हुए शीघ्र की तारीख में **आईपीईसी** (बौद्धिक संपदा मूल्यांकन समिति) को प्रकट करना अपेक्षित होगा।

3. छात्रों के लिए अपनी बीएस- एमएस रिपोर्ट और पीएच .डी. थीसिस दायर करने के समय अपने पर्यवेक्षकों से प्र ति हस्ताक्षरित एक आईपीडीएफ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. आविष्कारकर्ता संस्थान छोड़ने से पहले प्रकट किए गए आईपी के अधिकार आईआईएसईआरबी को सौंपेगा तथा ऐसे आईपी के वाणिज्यीकरण से संस्थान को प्राप्त किसी वित्तीय लाभ के बंटवारे हेतु शर्ते पर सहमति व्यक्त करेगा।

5. प्रकटन करने पर आविष्कारक, आईआईएसईआरबी तथा गैर- आईआईएसईआरबी कर्मी दोनों वाणिज्यीकरण की संभावना के मूल्यांकन तथा आईपी के संरक्षण के लिए आईआईएसईआरबी के पास इसके लंबित रहने की अवधि के दौरान , आईआईएसईआरबी द्वारा लिखित में अन्यथा प्राधिकृत किए जाने की स्थिति को छोड़कर, आईपी गोपनीयता बनाए रखेगा।

III. बौद्धिक संपदा का मूल्यांकन

1. बौद्धिक संपदा का मूल्यांकन आईपीईसी (बौद्धिक संपदा मूल्यांकन समिति) द्वारा किया जाएगा। डीन (आरएंडडी) इसके अध्यक्ष होंगे तथा आईआईएसईआरबी में वाणिज्यीकरण के लिए उत्तरदायी संगठन प्रमुख सदस्य सचिव होंगे। निदेशक आईपी से संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता अथवा परिचय /अनुभव वाले न्यूनतम तीन अतिरिक्त संकाय सदस्यों को नामित करेगा।

2. आईपी के मूल्यांकन का अर्थ हैः

क) आईपी का स्वामित्व सौंपना।

ख) यह निर्धारण करना कि कोई आईपी नवाचारी है और भारत में तथा विदेशों में दायर किए जाने योग्य है।

ग) यह निर्धारित करना कि आईपी के वाणिज्यीकरण के लिए यथोचित अवसर है।

3. आईपी के मूल्यांकन के पश्चात् यदि आईआईएसईआरबी इस आईपी के संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं लेने का निर्णय करता है तो वह आईपी के सभी अधिकार आविष्कारक को सौंप देगा।

4. ऐसे मामलों में जैसा कि (3), में दिया गया है आईआईएसईआरबी मामला दर मामला आधार पर आईपी के संरक्षण को सुकर बनाने की जिम्मेदारी ले सकता है।

5. आईपी अधिकारों के वार्षिक नवीकरण का निर्णय आईपीआरआईसी द्वारा लिया जाएगा। यदि आईआईएसईआरबी पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से आईपी का नवीकरण करने का निर्णय नहीं लेता है तो आईपी के अधिकारों , जहां भी वे संगत हो, को "आविष्कारक" को सौंप देगा।

IV. अनुबंध और करार

आईपी से संबद्ध सभी करार, जिनमें आईआईएसईआरबी के क्रमिकों और छात्रों द्वारा की गई निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं परंतु उन तक सीमि त नहीं है, में संस्थान द्वारा अनुमोदन की आवश्कता होगीः

1. निष्ठा, पुष्ठि तथा गोपनीयता करार।
2. मूल्यांकन करार।
3. लाइसेंस करार।
4. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (वाणिज्यीकरण) करार।
5. वैकल्पिक विवाद निपटान करार।
6. वर्गीकृत सूचना गैर-प्रकटन (विशिष्ट) करार।

निदेशक की विशिष्ट अनुम ति के साथ डीन (आरएंडडी) ऊपर सूचित करारों की सभी श्रेणियों में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होगा।

V. वाणिज्यीकरण

1. आईआईएसईआरबी आईपी का विपणन करेगा और आईपी के लिए संभावित लाइसेंसधारियों की पहचान करेगा जिसके लिए (i) इसके पास स्वामित्व है और (ii) जिसके लिए उसे अधिकार सौंपे गए हैं।

2. ऐसे आईपी जहां अनन्य अधिकार तीसरे पक्ष को पहले से नहीं सौंपे गए हैं , के लिए सृजनकर्ता गोपनीयता बनाए रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक देखभाल करते हुए कि आईपी का मूल्य प्रभावित न हो , संभावित लाइसेंसधारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।

3. यदि आईआईएसईआरबी यथोचित समय में आईपी का वाणिज्यीकरण नहीं कर पाता है तो आविष्कारक उस आविष्कार का अधिकार उसे सौंपने के लिए आईआईएसईआरबी से संपर्क कर सकता है।

VI. राजस्व हिस्सेदारी

1. आईआईएसईआर भोपाल के स्वामित्व वाले आईपी के वाणिज्यीकरण से निवल प्राप्ति की हिस्सेदारी निम्नानुसार की जाएगीः

मामला	निवल प्राप्ति	आविष्कारक	आईआईएसईआरबी का हिस्सा	सेवा खाता
1	प्रथम राशि के लिए क्यू*	65%	25%	10%
2	प्रथम राशि के लिए क्यू	45%	45%	10%
3	2क्यू से अधिक राशि के लिए	25%	65%	10%

*10.00 लाख रुपए

करार, समझौता ज्ञापन अथवा अनुबंध तैयार करने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देशः

आईपीआर की हिस्से दारी जबकि शोध/परामर्श सरकारी एजेंसियों जैसे कि डीएसटी इत्यादि द्वारा आंशिक रूप से और पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त है, तो आईपीआर पर किसी दावे से छूट प्रदान की जा सकती है, आईपीआर पूर्णतः आईआईएसईआर भोपाल द्वारा रखा जाएगा।

1. बौद्धिक संपदा अधिकारः

<u>टिप्पणीः</u> अधिकांश कंपनियां इस आशय के साथ आईपीआर की हिस्सेदारी करने की इच्छुक नहीं है कि वे एकाधिकार लाभ से फायदा उठा सके। आईपीआर एक इन्टेंजिबल संपत्ति के रूप में किसी संस्था के निर्माण में म हत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण साधन है। संस्थान को अपने अधिकार सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करने चाहिए। आईआईएसईआर भोपाल में तैयार किए गए आईपीआर के विघटन को रोकने के लिए निम्नलिखित विभिन्न विकल्प (पहला सर्वोत्तम) हैं।

- जब संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा आईआईएसईआरबी से हो तो **आईआईएसईआरबी** समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान विकसित किसी भी **बौद्धिक संपदा का एक मात्र स्वामी** होगा (इसमें ज्ञान , पेटेंट, कॉपीराइट डिजाइन अधिकार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित अधिकार , डाटा तथा कोई अन्य औद्योगिक अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल होंगे किंतु वे उन तक सीमित नहीं होंगे) (संदर्भ अनुबंध-क के उदाहरण 1,2)।

- जब संस्थान द्वारा अपने संसाधनों का केवल एक हिस्सा ही प्रदान किया जाता है तब समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान संयुक्त रूप से विकसित किसी भी बौद्धिक संपदा का स्वामित्व ज्ञापन के **दोनों पक्षों** का होगा। (इसमें ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट डिजाइन अधिकार , कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित अधिकार, डाटा तथा को ई अन्य औद्योगिक अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल होंगे किंतु वे उन तक सीमित नहीं होंगे) (संदर्भ अनुबंध- क के उदाहरण 3, 4)।

परिणामतः,

दोनों पक्षों को ऐसे बौद्धिक संपदा के वाणिज्यिक अवसर तलाशने तथा प्रबंध के निर्धारण का संयुक्त रूप से अधिकार होगा , दोनों पक्ष उसके पंजीकरण के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे। किसी बौद्धिक संपदा का पंजीकरण अथवा वाणिज्यीकरण किए जाने से पहले पक्ष विज्ञान कन्क्लेव के सार एक पृथक करार पर सहमत होंगे जिसमें अधिकारों का प्रयोग और राजस्व हिस्सेदारी जैसे मुद्दें शामिल होंगे।

- जब गतिविधि की लागत का बड़े हिस्से का तीसरे पक्ष द्वारा भुगतान किया जाता है तो समझौता ज्ञापन के दौरान तैयार बौद्धिक संपदा इस प्रकार के अनुसंधान हेतु किए गए समझौता ज्ञापन में यथानिर्दिष्ट **अन्य पक्ष के पास रहेगा** (अनुबंध-क का उदाहरण 5,6,7)। तथापि, जैसा कि मूल आईपीआर नीति में नोट किया गया है -

  आईआईएसईआरबी में तैयार किए गए सभी आईपी के मामले में आईआईएसईआरबी शिक्षण तथा शोध गतिविधियों के लिए आईपी की प्रति /प्रयोग हेतु आईआईएसईआरबी के गोपनीयता तर्क , जहां भी वे लागू हों , के अनुरूप एक गैर- अनन्य, मुक्त, गैर-वापसी लाइसेंस रखेगा।

यह निर्णय लेते हुए कि कई कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा कि संस्थान ने अपने संसाधनों का महत्वपूर्ण/अत्यधिक/आंशिक निवेश किया है। तदनुसार, बौद्धिक संपदा की हिस्सेदारी का निर्णय लिया जाएगा (संदर्भ अनुबंध-ख)।

2. *पेटेंट दायर करने का शुल्कः*

<u>टिप्पणीः</u> देश से बाहर पेटेंट दायर करना काफी खर्चीला है। इसलिए , भारत के बाहर आईपीआर प्राप्त करने के लिए संस्थान को दूसरे पक्ष द्वारा व्यय के पूर्ण भुगतान हेतु वार्तालाप करना चाहिए किन्तु आईपीआर का संयुक्त स्वामित्व होना चाहिए। [इस

पर ईएडीएस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन में सहमति हुई थी।] *वरीयता के क्रम में उपलब्ध विभिन्न विकल्प निम्नानुसार हैं।*

- **विकल्प 1:** आईआईएसईआरबी भारत में आईपीआर प्राप्त करने के लिए दायर करने अभियोजन तथा खर्च के अनुरक्षण के कुल खर्च के 50% से अधिक का अंशदान नहीं देगा (सही % आईपीआर दायर करने के समय परिभा षित किया जाएगा)। अन्य सभी देशों में दूसरे पक्ष को सभी प्रभारों का भुगतान करना होगा और पेटेंट **आईआईएसईआरबी तथा अन्य पक्ष दोनों के नाम में होगा।**

- **विकल्प 2:** आईआईएसईआरबी निर्दिष्ट देशों की सूची से अभिज्ञात देशों में आईपीआर प्राप्त करने के लिए दायर करने अभियोजन तथा खर्च के अनुरक्षण के कुल खर्च के 50% से अधिक का अंशदान नहीं देगा (सही % आईपीआर दायर करने के समय परिभाषित किया जाएगा)। अन्य सभी देशों में दूसरे पक्ष को सभी प्रभारों का भुगतान करना होगा और पेटेंट **आईआईएसईआरबी तथा अन्य पक्ष दोनों के नाम में होगा।** इस प्रावधान में वे देश शामिल हैं जहां पेटेंट की लागत इतनी अधिक है कि संस्थान इस व्यय में कोई अर्थपूर्ण योगदान नहीं दे सकता है।

- **विकल्प 3:** आईआईएसईआरबी निर्दिष्ट देशों की सूची से अभिज्ञात देशों में आईपीआर प्राप्त करने के लिए दायर करने अभियोजन तथा खर्च के अनुरक्षण में कोई योगदान नहीं देगा (सही % आईपीआर दायर करने के समय परिभाषित किया जाएगा)। इस मामले में सभी प्रभारों का भुगतान करना होगा और पेटेंट अन्य पक्ष के नाम में होगा। भारत में लागत की हिस्सेदारी की जाएगी और पेटेंट आईआईएसईआरबी तथा दूसरे पक्ष दोनों के नाम में होगा।

3. ***आईपीआर/शोध परिणाम का प्रयोगः***

<u>टिप्पणीः</u> शोध से उत्पन्न परिणाम के प्रयोग के मामले में नीचे दिया गया प्रारूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित वह धारा है जिसे अन्य पक्ष द्वारा आईपीआर के स्वामित्व के मामले में करार में शामिल किया जाना चाहिए।

आईआईएसईआर भोपाल में तैयार की गई परियोजनाओं के लिए सभी आईपी संस्थान के भीतर तैयार किए जाते हैं। आईआईएसईआरबी में तैयार किए गए सभी आईपी के मामले में आईआईएसईआरबी **शिक्षण तथा शोध गतिविधियों के लिए आईपी की प्रति/प्रयोग हेतु** आईआईएसईआरबी के गोपनीयता तर्क , जहां भी वे लागू हों , के अनुरूप **एक गैर-अनन्य, मुक्त, गैर-वापसी लाइसेंस रखेगा**।

4. ***प्रकाशनः***

<u>टिप्पणीः</u> किसी भी संस्थान के लिए परिणाम (कागज, थीसिस) के प्रकाशन उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं अतः आईआईएसईआर भोपाल को किसी अन्य पक्ष की सहमति/लिखित अनुमति के बगैर अपनी प्रयोगशालाओं में संचालित शोध को प्रकाशित करने का अधिकार (गोपनीय सूचना को छोड़कर) अपने पास रखना चाहिए। परिणामस्वरूप प्रकाशन में होने वाले विलंब से बचा जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों का अनुपालन किया जा सकता हैः

- विकल्प 1: अनुबंध के दौरान तैयार बौद्धिक संपदा से किसी भी प्रकाशन के लिए तीसरे पक्ष की सहमति आवश्यक नहीं है।

- विकल्प 2: बौद्धिक संपदा से होने वाला कोई भी प्रकाशन अन्य पक्ष को सूचना की साधारण लिखित टिप्पणी से संभव होगा।

- विक्लप 3: बौद्धिक संपदा से होने वाला कोई भी प्रकासन अन्य पक्ष की सहमति से संभव होगा। ऐसी सहमति सामान्यतः 90 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी और इसे अनावश्यक रूप से रोका नहीं जाएगा।

- विक्लप 4: बौद्धिक संपदा से होने वाला कोई भी प्रकाशन अन्य पक्ष को लिखित नोटिस से संभव होगा। यदि आवश्यक हो तो प्रकाशन में 6-8 सप्ताह का विलंब किया जाएगा ताकि अन्य पक्ष देश के भीतर अथ वा अन्यत्र एक संयुक्त पेटेंट दायर कर सकें।

5. ***आईपीआर की पृष्ठभूमिः***

(आईआईएसईआर भोपाल में परियोजना की प्राथमिकताओं अथवा स्वतंत्र रूप से विकसित आईपीआर)

यदि आवश्यक हो तो समझौता ज्ञापन तैयार करते हुए निम्नलिखित धाराओं को शामिल किया जा सकता है।

- पृष्ठभूमि आईपीआर आईआईएसईआरबी की संपदा होगी।
- आईआईएसईआरबी पृष्ठभूमि अधिकारों का उपयोग करने के लिए गैर- अनन्य अधिकार प्रदान करता है जिसके आधार पर समझौता ज्ञापन के तहत अधिकार तैयार किए जाते हैं।

6. *गोपनीयताः*

यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता अथवा परामर्शदाता और उसके समूह से गोपनीयता संबद्ध होती है किन्तु वह पूरे संस्थान से संबद्ध नहीं होती।

अतः, निम्नलिखित में से एक विकल्प का अनुसरण किया जा सकता हैः

- परियोजना में शामिल संकाय और टीम के सदस्य गोपनीय सूचना प्राप्त करेंगे। वे गोपनीय सूचना के अप्रकटन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- गैर-प्रकटन की वचनबद्धता करार के निरस्त/समाप्त होने तक वैद्य होगी।
  अथवा
- गैर-प्रकटन की वचनबद्धता करार के निरस्त/समाप्त होने के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगी।
  अथवा
- निरंतर वचनबद्धताः जहां तक संभव हो इस स्थिति से बचना चाहिए। (अपवादिक मामलों पीआई निरंतरता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए संस्थान को एक पत्र देगा।)

7. *विवाद निपटानः*

आशान्वित रूप से यह परस्थिति पैदा नहीं होती है। तब भी इसे सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना आवश्यक है और पीआई को इसकी जटिलताओं से अवगत कराना आवश्यक है। वरीयता के घटते हुए क्रम में (पहला अत्यधिक वांछनीय) इन धाराओं को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता हैः

- यह करार भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगा ; क्षेत्राधिकार का अनन्य स्थान नई दिल्ली (भारत) होगा। (विदेशी न्यायालयों की अनुमति नहीं है)।
- विवाचनः
  - **क.** किसी विवाद के मामले में इसे ..... के ..... तथा निदेशक आईआईएसईआरबी को विवाचन हेतु भेजा जाएगा। भेजे गए संदर्भ विवाचन एवं मिलान अधिनियम, 1996 अथवा उस पर किसी सांविधिक संशोधन /पुनः तैयार तथा उस पर निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किया हुआ माना जाएगा।
    अथवा
  - **ख.** अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विवाचन नियमों के अनुसरण में।

अथवा

ग. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के विवाचन नियमों के अनुसरण में।

- गैर-मानक प्रबंधः
  - **क.** विवाचन नई दिल्ली, भारत में संचालित किया जाएगा।
  - **ख.** समझौता ज्ञापन विवाचन के स्थान के संबंध में मौन है। स्थान का निर्णय भी विवाचन के भाग के रूप में लिया जाएगा।
  - **ग.** वह पक्ष जो मामला दायर करना चाहता है , दूसरे पक्ष को विवाचन के स्थान का विक्लप देगा।

8. *भुगतान की शर्तें:*

भुगतान जारी करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। सामान्य मानदंड निम्नानुसार हैं:

- परियोजना को आरंभ करने के लिए आरंभिक भुगतान होना अनिवार्य है (जैसे कि 25%)।
- राशि और भुगतान की तारीख के साथ बजट अनुसूची को समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद/धारा के रूप में अथवा एक अनुबंध के रूप में शमिल किया जाता है।
- सभी चैक निदेशक , आईआईएसईआर भो पाल अथवा कुल सचिव , आईआईएसईआर भोपाल के नाम में देय होते हैं।
- प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में टिप्पणियां:
  बजट में संस्थान के ऊपरी व्यय शामिल है।
  आईआईएसईआरबी को किसी भी आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

- परामर्शी परियोजनाओं को संबंध में टिप्पणियां:
  बजट में सेवा कर (भारतीय रुपए में निधियन के लिए) और संस्थान के ऊपरी व्यय शामिल होने चाहिए।

9. *डेलीवरेबलः*

सुचारू रूप से तैयार करार में कार्य की परिभाषा स्पष्ट और संचित होनी चाहिए। अतः निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है।

- डेलीवरेबल का समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद /धारा के रूप में अथवा एक अनुबंध के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

- कार्य तथा प्राप्त की जाने वाली उपब्धियों का विवरण बताया जाना चाहिए।
- सक्षमता के लिए एक पूर्ण परियोजना प्रस्ताव संलग्न किया जा सकता है।

10. ***संपत्ति का स्वामित्वः***

आईआईएसईआरबी अनुबंध से खरीदे गए उपकरण (और सॉफ्टवेयर) का जब तक स्वामी होगा तब तक कि करार में अन्यथा उल्लेख न किया गया होगा।

11. ***अवधिः***

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभारी होगा और वह ..... वर्ष की अवधि (जैसा कि सहमति हुई हो) के लिए लागू रहेगा।

12. ***दंड की धाराः***

ऐसी धारा स्वीकार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में आईआईएसईआरबी परियोजना की अवधि के दौरान गैर-प्रदर्शन अथवा निष्पादन में विलंब के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

13. ***सुरक्षा जमाः***

संस्थान द्वारा परियोजना आरंभ करने के लिए किसी सुरक्षा जमा का भुगतान नहीं किया जाएगा।

14. ***प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करारः***

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार तब किए जाते हैं जब कि कोई निजी पक्ष संस्थान में संचालित शोध को प्रकाशन के रूप में (सम्मेलन अथवा जरनल) देखता है। करार की जा रही प्रौद्योगिकी के प्रकाशनों का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

संस्थान से संबद्ध किसी घटनाक्रम में निम्नलिखित वारंटियां लागू होंगी।

इस करार के अनुसरण में इस करार के किसी भी पक्ष द्वारा प्रदत्त अथवा प्रदान की गई कोई सूचना, सामग्री, सेवा, बौद्धिक संपदा, अन्य संपदा अथवा अधिकार ***जहां है - जैसा है -*** **आधार पर** होगी। आईआईएसईआरबी किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति अथवा लागू , किसी भी तरीके से जिसमें विशिष्ट उद्देश्य के लिए फिटनेस की वारंटी , अथवा मर्चेंटेबिलिटी, उपयोग से प्राप्त अनन्य रूप से अथवा परिणामस्वरूप किसी मामले सहित किंतु उस तक सीमित नहीं किसी वारंटी को प्रदान नहीं करता है।

- संस्थान प्रौद्योगिकी के सफल उपयोग की वारंटी प्रदान नहीं कर सकता है।

तृतीय पक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति

- यदि अन्य पक्ष आईआईएसईआरबी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार में अर्जित आईपीआर का हस्तांतरण करती है /किसी को सौंपती है अथवा किसी परियोजना के दौरान प्रौद्योगिकी के आधार पर विकसित आईपीआर /उत्पाद का हस्तांतरण/बिक्री किसी तीसरे पक्ष को करती है तो उपर्युक्त धाराएं तीसरे पक्ष के लिए भी लागू होंगी।

15. ***डीनः***

डीन/परियोजना अन्वेषक का नाम समझौता ज्ञापन के पहले पृष्ठ पर उल्लेख किया जाना चाहिए।

16. ***हस्तारक्षकर्ताः***

प्रचलित मानदंडों के अनुसार डीनः शोध एवं विकास सभी शोध तथा परामर्शी करारों के लिए हस्ताक्षरकर्ता है। पीआई गवाह के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है। टिप्पणी मिसिल के माध्यम से निदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित होता है।

अनुबंध-कः काल्पनिक उदाहरण

उदार आईपीआर हिस्सेदारी

1. कल्पना करें कि मैसर्स एबीसी कंपनी को इस्पात मेल्ट सॉप के एलडी कनवर्टर के लिए लेबल-2 ऑटोमेशन तैयार करने की आवश्यकता है। मैसर्स एबीसी आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी के पास इस्पात निर्माण प्रक्रिया हेतु आईआईएसईआर भोपाल द्वारा विकसित मॉडल निर्माण सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए निविदा हेतु बोली लगाता है। चूंकि आईआईएसईआर भोपाल प्रौद्योगिकी के रूप में अत्यधिक योगदान कर रहा है, इस पर सहमति की जाती है कि परियोजना के दौरान तैयार किए गए सभी बौद्धिक संपदा अधिकार *आईआईएसईआर भोपाल के पास रहेंगे।*

2. आईआईएसईआर भोपाल के सहयोग से यह शैक्षिक, पुस्तकालय, खातों, क्रय और वैयक्तिक प्रकोष्ठ के स्वाचालन में सहायता प्रदान कर रहा है। चूंकि आईआईएसईआर भोपाल अपने स्वयं के स्वाचालन में लंबी अवधि के दौरान प्राप्त अपनी सभी विशेषज्ञता का प्रयोग कर रहा है इसलिए सॉफ्टवेयर और जानकारी से संबंधित सभी बौद्धिक संपदा *आईआईएसईआर भोपाल के पास रहेगी।*

इष्टतम आईपीआर हिस्सेदारी

1. यह सोचे कि किसी सोसायटी के साथ रिकान्फीदगु रेबल कंप्यूटिंग - उच्च स्तरीय विनिर्देशण, रिकॉन्फीबुरेबल प्रणाली की मॉडलिंग और सिंथेसिस के संबंध में अपने शोध कार्यक्रम की अवसंरचना के भीतर किसी शोध करार में वह आईआईएसईआर भोपाल की शोध सेवाओं का लाभ उठाने का इच्छुक हैं। करार की अवधि 26 माह की होगी और सोसायटी 69,00,000/- येन का भुगतान करेगी। यह निर्णय लिया गया कि शोध गतिविधि के दौरान सृजित सभी बौद्धिक संपदा की *संयुक्त रूप से हिस्सेदारी की जाएगी।*

2. यह कल्पना करे कि आईआईएसईआर भोपाल ने एक स्पिलिट पैकिंग डिजाइन तैयार किया है। मैसर्स डीईएफ इसे एसिड गैस घटकों को दूर करने के लिए गैस वाष्प से इसे जोड़ने के लिए एक विशिष्ट प्रयोग में प्रदर्शित करने की इच्छुक है। ये विकास गतिविधियां मैसर्स डीईएफ की एक रिफाइनरी की प्रयोगशाला सुविधाओं में आईआईएसईआर भोपाल के सहयोग से संचालित की जाएगी जिसमें आईआईएसईआर भोपाल की कोई लागत शामिल नहीं होगी। इस करार के माध्यम से आईआईएसईआर भोपाल मैसर्स डीईएफ को प्रौद्योगिकी प्रदान कर रहा है। मैसर्स डीईए फ ऐसे 20

इंस्टालेशन तक डीईएफ द्वारा उपयोग के प्रत्येक इंस्टालेशन के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर की रॉयल्टी का भुगतान करने पर सहमत है। कार्यक्रम के पेटेंट और *कार्यक्रम की तकनीकी सूचना* का संयुक्त रूप से स्वामित्व करने का निर्णय लिया गया।

कठोर आईपीआर हिस्सेदारी

- मैसर्स जीएचआई कॉर्पोरेशन के साथ एक शोध करार में मैसर्स जीएचआई ने "इलेक्ट्रोमेगनेटिक विश्लेषण का प्रयोग करते हुए आउटर-रोटर सरफेस पर्मानेंट मैगनेट सिंक्रोनस मोटर का विकास" शोध शीर्षक प्रदान किया है और 17929 अमेरिकी डॉलर का निधियन किया है। परियोजना की अवधि 1 वर्ष है। यह निर्णय लिया गया कि बौद्धिक संपदा का स्वामित्व मैसर्स जीएचआई का होगा।
    - किंतु आईआईएसईआर भोपाल के पास शोध एवं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आईपी की प्रति /उपयोग के लिए एक रॉयल्टी मुक्त , गैर-अनन्य, गैर-वापसी योग्य लाइसेंस है।
    - यदि मैसर्स जीएचआई परियोजना के परिणामों का वाणिज्यीकरण करता है तो उद्योग के मानदंडों के अनुसरण में वित्तीय मान्यता के लिए यथोचित रॉयल्टी पर वार्ता की जाएगी।
- मैसर्स जीई, बंगलौर के साथ परामर्शी करार में संस्थान हार्मोनिक्स के लिए स्टेटकॉम के डिजाइन तथा साइमूलेशन के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा है। परियोजना की अवधि छः माह है।
    - यह निर्णय लिया गया कि किसी भी बौद्धिक संपदा का स्वामित्व मैसर्स जीई का होगा।
    - परंतु मैसर्स जीई आईआईएसईआरबी को इसके आंतरिक शोध , शैक्षिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए रॉयल्टी मुक्त, गैर-अनन्य लाइसेंस प्रदान करेगा।
- मैसर्स एएए के साथ सहयोग करार में आईआईएसईआरबी और मैसर्स एएए इंस्टेंट ऑर्गेनिक तथा पॉलीमर सोलर सैल तथा ऑर्गेनिक एवं पॉलीमर लाइट इमेटिंग डाययोड में प्रयोग हेतु कोटिड धातु वस्तुओं को विकसित करना चाहती है। मैसर्स एएए आईआईएसईआरबी को 4,464,720.00 रुपए की निर्धारित राशि का भुगतान कर रही है।
    - सृजित सभी परिणाम मैसर्स एएए की संपदा होगी।
    - मैसर्स एएए पेटेंट आवेदन अन्वेषक का नाम शामिल करेगा और आईआईएसईआरबी के पास संस्थान के भीतर शोध एवं विकास कार्यों के लिए परिणाम तथा प्रदत्त जानकारी का निःशुल्क उपयोग करने का अधिकार होगा।
    - पृष्ठभूमि आईपीआर संस्थान के पास रहेगा।

अनुबंध-खः आईपीआर की हिस्सेदारी के लिए निर्णायक कारक

यह निर्णय लेते हुए कई मानदंडों पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है कि क्या संस्थान ने अपने संसाधनों का महत्वपूर्ण अथवा अत्यधिक अथवा आंशिक निवेश किया है। इसके कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं:

1. समस्या परिभाषा/प्रवर्तक

प्रायोजित शोध के मामले में संकाय अथवा शोध स्टाप समस्या की पहचान , परिभाषित करता है और उसे परियोजना प्रस्ताव के रूप में निधियन एजेंसी को प्रस्तुत करता है।

परामर्शी परियोजना में समस्या की परिभाषा किसी कंपनी अथवा संगठन से पैदा होती है।

यदि मूल समस्या विवरण में बौद्धिक संपदा सृजित होती है तो निधियन एजेंसी के पास उसके लिए यथोचित दावा है। इसके परिणामस्वरूप आईपीआर की सामान्य रूप से साझेदारी की जाएगी।

कंपनी द्वारा अपने विचारों का वाणिज्यीकरण किए जाने तक की विशिष्ट अव धि के लिए प्रकाशन रोका जा सकता है।

अकसर आईपीआर का सृजन समस्या का हल करने के दौरान किया जाता है और यह मूल उद्देश्य के साथ केवल सीमा में ही जुड़ी हो सकती है। संकाय सदस्य /शोध कर्मचारी तथा संस्थान तब आईपीआर में एक प्रभावी हिस्सेदारी करेंगे। ऐसे मामले में आईपीआर की समान रूप से हिस्सेदारी की जाएगी और दोनों पक्षों को इसके वाणिज्यीकरण के समान अवसर होंगे।

2. वित्त पोषण

- **परियोजना के निष्पादन के लिए**

  सामान्यतः अन्य पक्ष परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक कुल निधियों का भुगतान करता है किंतु यह केवल परियोजना की आंशिक लागत ही है। संस्थान द्वारा शामिल कई अन्य लागत होती हैं (अप्रत्यक्ष लागत) जैसे प्रयोगशाला स्थान, कंप्यूटर, नेटवर्किंग सेवा, मानव संसाधनों के वेतन, अनुरक्षण, कुछ विशेष उद्देश्य के उपकरण। अतः दूसरे पक्ष का बौद्धिक संपदा के अनन्य स्वामित्व का दावा व्यवहार्य नहीं है।

- **वाणिज्यीकरण के लिए**

  कई बार सहयोगी एजेंसी न केवल परियोजना के निष्पादन के लिए भुगतान करती है किंतु संभावित उत्पाद के वाणिज्यीकरण के मामले में रॉयल्टी भी प्रदान करती है। ऐसे मामले में बौद्धिक संपदा दूसरे पक्ष के साथ संयुक्त रूप से बांटी जा सकती है (अनुबंध-क का उदाहरण 4 देखें)।

3. बौद्धिक/मानव संसाधन

सामान्य परिस्थितियों में संस्थान के संकाय , शोध कर्मचारी शोध गतिविधि में अपने बौद्धिक विचारों को शामिल करते है। ऐसे मामले में बौद्धिक संपदा की हिस्सेदारी 50% से कम नहीं होगी।

4. अवसंरचना

यदि परियोजना आईआईएसईआर भोपाल में उपलब्ध विशिष्ट अवसंरचनात्मक सुविधा के बगैर निष्पादन करने योग्य नहीं है तो बौद्धिक संपदा अनन्य रूप से आईआईएसईआर भोपाल के स्वामित्व में होगी।

यदि दोनों पक्ष परियोजना के लिए अवसंरचना को साझा करते है (स्थान, कंप्यूटर और जनशक्ति सहित), तो बौद्धिक संपदा की संयुक्त रूप से हिस्सेदारी की जाएगी।

5. पृष्ठभूमि बौद्धिक संपदा/जानकारी

यदि सहयोगी निधियन एजेंसी अपने उत्पादन में आईआईएसईआर भोपाल की पृष्ठभूमि बौद्धिक संपदा लागू करने में इच्छुक है तो कोई अन्य प्रौद्योगिकी घटना का भी अनन्य रूप से आईआईएसईआर भोपाल का स्वामि त्व होगा (अनुबंध-क का उदाहरण 1,2 देखे)।

6. कोई अन्य कारक

यदि ऊपर विचार नहीं किए गए अन्य कारक है तो बौद्धिक संपदा की हिस्सेदारी की सीमा से संबंधित निर्णय मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा।

17. भंडार तथा क्रय मैनुअल

क्रय प्रक्रिया के लिए शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश *भंडार एवं क्रय मैनुअल* के रूप में संस्थान की वेबसाइट *(*http://www.iiserb.ac.in*) पर* उपलब्ध हैं।

18. यात्रा अग्रिम और समायोजन

विदेश टीए /डीए नियमों के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट अर्थात् http://web.iiserb.ac.in देखें।

संस्थान के कर्मचारियों के टीए /डीए नियमों के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट अर्थात् http://www.iiserb.ac.in देखें।

परियोजना स्टाफ के टीए /डीए नियमों के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट अर्थात् http://www.iiserb.ac.in देखें।

डीए पात्रता के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट अर्थात् http://www.iiserb.ac.in देखें।

19. परियोजना नियोजन

शोध कर्मचारियों के पदनाम तथा वेतन ढांचा 1 जनवरी, 2012 से प्रभावी था।

वैज्ञानिक संवर्ग के अंतर्गत तथा व्यावसायिक संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त परियोजना कर्मचारियों का वेतन ढांचा तालिका-क में निम्नानुसार दिया गया हैः

तालिकाः क

परियोजना नीतियों का वेतन ढांचा

I. वैज्ञानिक संवर्ग

क्र.सं.	पदनम	न्यूनतम योग्यता	आरंभिक समेकित वेतन (रुपए)
एस1	परियोजना लैब तकनीशियन	12वीं पास/आईटीआई/डिप्लोमा अथवा समकक्ष अनुभव	8,000/-
एस2	परियोजना लैब सहायक	बी.एससी. अथवा समकक्ष	10,000/-
एस 3	परियोजना लैब एशोसिएट	एम.एससी. अथवा समकक्ष	15,000/-
एस 4	परियोजना पोस्ट डॉक्टरल फैलो (सीएसआईआर/यूजीसी/एआईआसीटीई/आईएफएमआर/आईएनएसपीआईआरई)	पी.एचडी.	22,000/-
एस 5	परियोजना शोध वैज्ञानिक	पी.एचडी.+दो वर्ष का अनुभव	35,000/-

II. व्यावसायिक संवर्ग

क्र.सं.	पदनम	न्यूनतम योग्यता	आरंभिक समेकित वेतन (रुपए)
एन1	परियोजना लैब सहायक	स्नातक (बी.एससी./बी.ए./बी.कॉम./बी.बी.ए./बीसीए अथवा समकक्ष)।	10,000/-
एन 2	परियोजना लैब एशोसिएट	अत्यधिक अनुभव के साथ स्नातकोत्तर डिग्री तथा संगत क्षेत्र में विशेषज्ञता अथवा व्यावसायिक डिग्री (बीई/बी.टेक.) अथवा समकक्ष।	15,000/-
एन 3	परियोजना कार्यालय एक्जक्यूटिव	पी.एचडी./व्यावसायिक योग्यता + दो वर्ष का अनुभव।	20,000/-

अन्य शर्तेः

1) केवल 20% की दर से एचआरए। परियोजना में एचआरए के प्रावधान का अनिवार्य रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए।

2) संतोषजनक प्रदर्शन तथा परियोजना अन्वेषक की सिफारिश पर आ रंभिक समेकित वेतन पर 10% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी। परियोजना को इस वेतनवृद्धि का समर्थन करने योग्य होना चाहिए।

3) उपर्युक्त कोई भी स्थिति अंशकालीन आधार पर हो सकती है जिसमें सकल वेतन की आधी राशि का प्रस्ताव किया जा सकता है।

4) उपर्युक्त वैज्ञानिक संवर्ग में दो और पद जैसे कि परियोजना कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (जेआरएफ) और परियोजना वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (एसआरएफ) का भी प्रस्ताव किया जाता है। उपर्युक्त पदों के लिए दिशा- निर्देश और वेतन संबंधित निधियन एजेंसी के मानदंडों के अनुसार होगा।

5) ऐसे कर्मचारी को कोई मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा जो आरए छात्रावास सुविधा का लाभ उठाने का इच्छुक है। कर्मचारी के वेतन से नीचे दी गई दरों के अनुसार आवास प्रभारों की कटौती की जाएगीः

प्रति व्यक्ति प्रति दिवस आरए अतिथि कक्ष प्रभार 200/- रुपए

जल आपूर्ति प्रभार	100/-
विद्युत प्रभार	बिल के अनुसार
अनुरक्षण प्रभार	200/-
फर्नीचर के लिए किराया (कोट, कुर्सी, मेज तथा अलमारी)	300/-
जल शोधक हेतु किराया	150/-
प्रति माह बस प्रभार (वैकल्पिक)	250/-
कुल	1000/-

- उपर्युक्त पदों के लिए नियुक्ति हेतु चयन समितियों का निम्नानुसार गठन किया जाएगाः
- परियोजना लैब तकनीशियन, परियोजना लैब सहायक, वैज्ञानिक संवर्ग के लिए परियोजना लैब एशोसिएट तथा परियोजना कार्यालय सहायक, परियोजना कार्यालय एशोसिएट के पदों के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया जाएगाः
- विभाग प्रमुख (अथवा) नामिती : अध्यक्ष
- एक संकाय सदस्य : सदस्य
- परियोजना अन्वेषक : संचालक
- व्यावसायिक संवर्ग के लिए परियोजना कार्यालय एक्जीक्यूटिव /वैज्ञानिक संवर्ग के लिए परियोजना अनुसंधान वैज्ञानिक, परियोजना पीडीएफ

- डीन, आरएंडडी अथवा नामिती : अध्यक्ष
- विभाग प्रमुख : सदस्य
- एक संकाय सदस्य : सदस्य
- परियोजना अन्वेषक : संचालक

6) कार्यकारी अनुभव किसी शोध प्रयोगशाला अथवा संस्थान/विश्वविद्यालय अथवा उद्योग में संगत क्षेत्र में होना चाहिए।

7) चयन के समय चयन समिति अनुभवी अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम पांच वेतनवृद्धि का प्रस्ताव करते हुए उच्च आरंभ की सिफारिश कर सकती है। वेतनमान के आरंभिक स्तर से उच्च आरंभ की गणना लागू अनुभव के लिए अपेक्षित वर्षों की न्यूनतम संख्या से आगे पहले से की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए पिछले वर्षों के अनुभव के वर्षों की संख्या को जोड़ते हुए तथा प्रत्येक के लिए एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए की जा सकती है।

8) संतोषजनक प्रदर्शन के मामले में एक वर्ष पूरा होने पर एक वेतनवृद्धि दी जा सकती है। तथापि, योग्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन के मामले में विशिष्ट सिफारिश के आधार पर और प्रधान परियोजना अन्वेषक द्वारा प्रदत्त औचित्य के आधार पर एक वर्ष के लिए दो वेतनवृद्धि तक दी जा सकती है।

9) समय-समय पर सेवा का विस्तार प्रत्येक- बार अधिकतम एक वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है।

10) किसी परियोजना कर्मचारी का एक परियोजना से दूसरी परियोजना में स्थानांतरण के मामले में नई चयन प्रक्रिया की आवश्यकता के बगैर ऐसे स्थानांतरण हेतु वै द्य कारण और औचित्य प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत मिसिल संख्या वही रहेगी चूंकि इसे एक स्थानांतरण के रूप में ही लिया जाएगा।

11) यदि कोई व्यक्ति संस्थान अथवा समकक्ष संगठन की किसी विशिष्ट परियोजना में पहले से कार्य कर रहा है अथवा का र्य कर चुका है तो आहरित अंतिम वेतन को नए पद पर नियुक्ति के लिए समेकित वेतन के निर्धारण के आधार के रूप में किया जा सकता है।

12) संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति के मामले में शैक्षिक योग्यता में अनुभव के अनुरूप छूट दी जा सकती है और उपर्युक्त तालिका में उल्लेखानुसार पदनाम और अनुभव के स्तरों की समुचित सीमा के साथ अनुभव और पदनाम में छूट दी जा सकती है।

13) **परियोजना कर्मचारी का स्तरोन्नय नः** यदि पीआई उसी परियोजना में किसी परियोजना कर्मचारी को स्तरोन्नत करने पर विचार करता है तो वह कर्मचारी के प्रदर्शन की समीक्षा के पश्चात् एक पृथक चयन समिति के बगैर उसके स्तरोन्यन की सिफारिश कर सकता है। तथापि, कर्मचारी के किसी अन्य परियोजना में कार्य के लिए स्तरोन्यन के मामले में उस मामले को विचारार्थ चयन समिति के माध्यम से रखा जाएगा। यह स्तरोन्यन

विचारार्थ पद के अनुरूप अर्जित अतिरिक्त योग्यताओं और अनुभव के रूप में औचित्यपूर्ण होना चाहिए।

14) **अर्धकालीन अथवा अंशकालीन परियोजना रोजगारः** कुछ परियोजनाओं में आवश्यकताओं और सीमित प्रावधानों को देखते हुए अभ्यर्थियों पर उपर्युक्त अवसंरचना के अनुसार समुचित पदनाम के साथ परियोजना में अर्धकालीन नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। तथापि, कर्मचारी को पूर्णकालीन कर्मचारी के लिए देय संबंधित वेतन के केवल 50% का ही भुगतान किया जाएगा। परियोजना आवश्कताओं के अनुसार कार्य सत्रों का निर्णय लोचशील तरीके से लिया जा सकता है जैसे कि पूर्वाह्न अथवा अपराह्न पाली।

15) **दो परियोजनाओं में संबद्ध नियुक्ति अथवा संयुक्त नियुक्तिः** यदि किसी विशेषज्ञ अथवा व्यावसायिक की अथवा किसी एकल परियोजना में वित्तीय प्रावधानों को देखते हुए एक ही समय में दो परियोजनाओं में आवश्यकता होती है तो किसी परियोजना कर्मचारी पर संबद्ध अथवा संयुक्त नियुक्ति के लि ए विचार किया जा सकता है , इस प्रकार एक ही समय में दो परियोजनाओं में कार्य करना सुकर होता है। वित्तीय बोझ दोनों परियोजनाओं में से प्रत्येक द्वारा समुचित रूप से बांटा जा सकता है। दो विभिन्न परियोजनाओं के पीआई ऐसी नियुक्ति के लिए चयन समिति के संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता होंगे।

16) सामान्य मामलों में परियोजना कर्मचारी के लिए सेवा की अधिकतम अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी और वार्षिक आधार पर प्रत्येक नवीकरण के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का ब्रेक बनाए रखना आवश्यक होगा।

17) गृह किराया भत्ता और परिवहन भत्ते का भुगतानः

- पीआई द्वारा सिफारिश किए जाने और प्रायोजक एजेंसी द्वारा अनुमोदन किए जाने पर वेतन के 20% की दर से एचआरए।
- परिवहन भत्ते का भुगतानः आरएंडडी परियोजना स्टाफ के लिए पात्र मामलों में तथा प्रायोजक एजेंसी द्वारा अनुमोदन पर संबद्ध परियोजना पदों पर वेतन ढांचे के आरंभिक चरण में 10% परिवहन भत्ता प्रदान किया जा सकता है।
- ये पद पूर्णतः अनुबंध आधार पर तथा अस्थायी हैं। किसी भी परिस्थिति में इन कर्मचारियों को किसी अन्य नियमित पदों के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

अवकाश पात्रताः

रोजगार का प्रकार	प्रति माह आकस्मिक अवकाश	वर्ष में कुल आकस्मिक अवकाश पात्रता	प्रति माह वार्षिक अवकाश	वर्ष में कुल वार्षिक अवकाश पात्रता	वेतन के बगैर चिकित्सा अवकाश
परियोजना अनुबंध कर्मचारी	01	08	2 ½	30	वैद्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकत 30 दिन

टिप्पणीः *यदि किसी समय चिकित्सा अवकाश (वेतन के बगैर) का 30 दिन के पश्चात् विस्तार किया जाता है तो अनुपस्थिति की ऐसी अवधि को सेवा के विच्छेद के रूप मे लिया जाएगा और चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से उसके स्थान पर किसी नए अभ्यर्थी को नियुक्त किया जा सकता है।*

18) **बीमाः** लघु कालीन अनुबंध परियोजना /नियमित कर्मचारियों को समूह दुर्घटना, चिकित्सा एवं जीवन बीमा के तहत नामांकित किया जाएगा। परियोजना कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त बीमे की लागत परियोजना बजटीकरण में दर्शाई जाएगी और इसे संबंधित परियोजनाओं में प्रभारित किया जाएगा। आरएंडडी कार्यालय इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा एवं बीमा एजेंसियों को पैनलबद्ध करेगा।

19) **चिकित्सा सुविधाएं**: संस्थान के परिसर में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में नेमी ओपीडी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। गंभीर बीमारी के मामले चिकित्सा प्राधिकारियों के मतानुसार सरकारी अस्पताल /निजी अस्पताल को भेजे जाएंगे। परियोजना कर्मचारियों के लिए संस्थान के स्वास्थ्य केंद्र में केवल उनके स्वयं के लिए दवाईयों की लागत की प्रतिपूर्ति के बगैर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। संस्थान से बाहर भेजे जाने पर कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। कार्यग्रहण करने के समय आईडी प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को एक चिकित्सा पुस्तिका प्रदान की जाएगी जिसे चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के समय स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा अवधि समाप्त होने/त्याग-पत्र/सेवा समाप्त किए जाने पर इसे वापस करना होगा।

20. प्राप्त अनुदान से बैंक जमा खाते पर कोई ब्याज अर्जन नहीं की घोषणा

संस्थान प्रधान अन्वेषक को निधियां जारी करने के अग्रिम में संस्वीकृति पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद परियोजना कार्य आरंभ करने की अनुमति देता है। अनुदान के माध्यम से प्राप्त राशि स्टेट बैंक के चालू खाते में रखी जाती है जिस पर संस्थान को कोई विशिष्ट ब्याज प्राप्त नहीं होता है। न तो संस्थान निधियन एजेंसी द्वारा व्यय की क्षतिपूर्ति में विलंब पर कोई ब्याज बसूलता है और न ही वह निधिय एजेंसी से प्राप्त राशि पर ब्याज अर्जित करता है। संस्थान की यह नीति स्वस्थ परियोजना प्रबंधन और शोध तथा विकास के संवर्धन प्रदान करती है। इस आशय का प्रमाण-पत्र संस्थान की वेबसाइट में दिया गया है। बचत बैंक खाते पर ब्याज इत्यादि जैसी कोई आकस्मिक प्राप्ति को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आरएंडडी की विविध प्राप्ति के रूप में लिया जाएगा।

*****

खंड III

आरएंडडी कार्यालय का कार्यकलाप

आरएंडडी कार्यालय के कार्यकलाप

शोध एवं विकास कार्यालय का गठन संस्थान के प्रायोजित शोध , परामर्श तथा अन्य संबद्ध आरएंडडी गतिविधियों के संचालन के लिए विशिष्ट प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। यह राष्ट्री य तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बाह्य एजेंसियों के साथ संपर्क को सुकर बनाता है। यह संस्थान- उद्योग संपर्क तथा सभी बाह्य वित्त पोषित शोध एवं विकास परियोजनाओं के संवर्धन और प्रबंधन भी करता है। आरएंडडी कार्यालय की मुख्य भूमिका संस्थान की शोध और विकास गतिविधियों में एक सृजनात्मक वातावरण का प्रावधान करना है। इनमें से कुछ निम्नानुसा हैः

1. **संस्थान - उद्योग संपर्क का संवर्धनः** यह कार्यालय उद्योग के हित के उभरते हुए क्षेत्रों में सृजनात्मक और प्रोन्नत शोध के लिए सहयोगी शोध भागीदारों की स्थापना में सहायता प्रदान करता है।

2. **संयुक्त सहयोगी कार्यक्रमः** संस्थान अपने सहयोगी शोध प्रयासों के सुदृढ़ीकरण के लिए भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक /शोध संस्थाओं और उद्योगों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

3. **प्रोद्योगिकी विकास और हस्तांतरण मिशनः** संस्थान के संकाय, वैज्ञानिकों और छात्रों की आरएंडडी गतिविधियों की प्रौद्योगिकियों के परिणामों के लाइसेंस उद्योगों /उपभोक्ता एजेंसियों को हस्तांतरण।

4. **शोध परियोजनाएं स्थापित करनाः** स्थापना तथा इन परियोजनाओं के सुकर संचालन के लिए कई प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है।

21. परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ

- **प्रस्ताव प्रस्तुत करनाः** निधियन के लिए किसी प्रायोजित /परामर्शी/कार्यशाला/सम्मेलन के लिए परियोजना प्रस्ताव डीन , शोध एवं विकास को पृष्ठांकन सह- अग्रेषण पत्र के साथ हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- पत्र पर प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग प्रमुख/केंद्र प्रमुख के अग्रेषण की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और परियोजना का निष्पादन किया जा सकता है।

- प्रस्ताव की सॉफ्ट प्रति रिकॉर्ड के लिए कार्यालय को भेजी जाएगी। डीन , आरएंडडी सभी परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

- **परियोजना का पंजीकरणः** जब परियोजना निधियन एजेंसी /उद्योग द्वारा संस्वीकृत की जाती है तो इस कार्यालय को संस्वीकृति पत्र /करार/समझौता ज्ञापन /प्रस्ताव के साथ समुचित रूप से भरा गया नई परियोजना पंजीकरण फॉ र्म प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है। समुचित परियोजना संख्या प्रदान की जाती है।

- चैक/डिमांड ड्राफ्ट/ईसीएस आरएंडडी कार्यालय द्वारा निधियन एजेंसी से प्राप्त किए जाते हैं। यदि ये प्रधान अन्वेषक द्वारा प्राप्त किए जाते है तो इन्हें डीओआरडी कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है।

- एक परियोजना संख्या दी जाती है। परियोजना को संचालनरत बनाने के लिए संगत संस्वीकृति राशि के साथ विभिन्न बजट शीर्ष बनाए जाते हैं।

- **परियोजना का संचालनः** परियोजना की निधियां और बजट कार्यालय में रखी जाती है तथापि परियोजना से राशि खर्च करने का मुख्य प्राधिकारी डीओआरडी के अनुमोदन के अधीन प्रधान अन्वेषक/सह-प्रधान अन्वेषक होता है।

- संगत बजट शीर्ष के व्यय किसी भी समय संस्वीकृति सीमा से आगे नहीं जाने चाहिए। यदि बजटीय आबंटन में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो प्रायोजन एजेंसी से अनुमोदन लिया जाना चाहिए और इसे कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- **प्रगित रिपोर्ट और अन्य डेलीबरेबल प्रस्तुत करनाः** रिपोर्ट और अन्य डेलीबेरबल समय से प्रस्तुत करना प्रधान अन्वेषक की जिम्मेदारी है। प्रस्तुत किए जाने वाले खाते का विवरण कार्यालय को अनुरोध पर पीआई को उपलब्ध कराया जाएगा।

- **निधियों की लेखापरीक्षाः** प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आरएंडडी के खाते की महालेखापरीक्षक , मध्य प्रदेश (एजीएमटी) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है जिसमें परियोजना के सभी खाते शामिल होते हैं। एजीएमटी यह उल्लेख करते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रदान करता है कि खाते सही हैं और योग्यता (लेखापरीक्षा पैरा) यदि कोई हो, के साथ सर्वोत्तम लेखन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए गए हों।

- **उपयोगिता प्रमाण-पत्रः** निधियन एजेंसियां समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र की मांग करती है। प्रधान अन्वेषक डीन , आरएंडडी के कार्यालय के सा थ समन्वय करेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्थान के आरएंडडी पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं , व्यय

की जांच की जा सकती है और तदनुसार इन्हें अनुमोदन के लिए डीओरआडी को प्रेषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त , एजेंसी द्वारा सूचित कोई अन्य प्रपत्र भी पीआई द्वारा डीओआरडी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

- निधियन एजेंसियां यूसी /एसई तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के बगैर अगले वर्ष के लिए निधियां जारी नहीं करेंगी।

- लेखापरीक्षित विवरण के आधार पर वैयक्तिक परियोजना के उपयोगिता प्रमाण- पत्र तैयार किए जाते हैं जिन्हें पी आई द्वारा निधियन एजेंसी को भेजा जा सकता है। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर "पूर्व लेखापरीक्षित व्यय" की मुहर लगाई जाती है।

- **परियोजना विस्तारः** परियोजना के विस्तार के लिए निधियन एजेंसी से अनुमति मांगी जा सकती है। निधियन एजेंसी से पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् परियोजना का विस्तार किया जाता है।

- **परियोजना संपूर्णताः** प्रधान अन्वेषक अंतिम रिपोर्ट तथा निधियन एजेंसी के दिशा- निर्देशों के अनुसार अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है। इस रिपोर्ट की एक प्रति कार्यालय को भी भेजी जानी अपेक्षित होगी।

- बाकी नि धियां, यदि कोई हो , प्रायोजक एजेंसी को वापस कर दी जाएगी। परामर्शी परियोजना के मामले में बाकी राशि पीडीए /डीपीए को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके पश्चात् परियोजना बंद कर दी जाएगी। पीआई द्वारा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध परियोजना बंद करने संबंधी फॉर्म को समुचित रूप से भरकर प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

- ऊपरी व्यय जब भी परियोजना शुरू की जाती है अथव वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऊपरी व्यय काटा जाता है। ऊपरी व्यय के निर्धारण और भाग के लिए कृपया खंड-II देखें।

- सेवा करः सेवा कर चैक प्राप्त होने पर परियोजना से लागू दरों पर काटा जाता है। सेवा कर से काटी गई राशि भारत सरकार के नियमों के अनुसार समुचित खाते में जमा करवाई जाती है। कृपया 13, खंड-ख देखें।

- बीजक/सहायता अनुदान बिल में वृद्धि करना पीआई परियोजना बजट की आवश्यकता के अनुसार निधियन एजेंसी को बीजक अथवा सहायता अनुदान बिल भे जने के लिए उत्तरदायी है। बीजक डीनः आरएंडडी द्वारा अग्रेषित किए जाते हैं।

22. कार्मिक एवं स्थापना प्रबंधन प्रकोष्ठ

यदि परियोजना के लिए स्वीकृत बजट में कर्मचारियों के वेतन का प्रावधान हो तो परियोजना में शोध एवं सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। परियोजना में सभी नियुक्तियां समेकित आधार पर की जाएंगी। परियोजना नियुक्तियां तदर्थ आधार पर अथवा चयन समिति के माध्यम से की जा सकती है।

नियुक्तियों से संबंधित सभी फॉर्म संस्थान की वेबसाइट अर्थात् http://web.iiserb.ac.in पर देखे जा सकते है।

शोध कर्मचारियों के पदनाम और वेतन ढांचा 1 जनवरी, 2012 से लागू होगाः

- *तदर्थ नियुक्तिः* परियोजना कार्मिकों की तदर्थ नियुक्ति तीन माह से कम की अवधि के लिए की जा सकती है और इसका विशेष परिस्थितियों को छोड़कर विस्तार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आरएंडडी कार्यालय से पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है।

उद्देश्य	**प्रक्रिया**
तदर्थ नियुक्ति	• तदर्थ नियुक्ति के लिए अनुरोध अभ्यर्थी के आवेदन और सीवी के साथ डीओआरडी कार्यालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। • निदेशक द्वारा अनुमोदन • नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है • कर्मचारी द्वारा कार्य ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती है

- *परियोजना कार्मिकों की नियमित नियुक्तिः* परियोजना के पद परियोजना की अधिकतम अवधि के साथ सह-संयोजित होते हैं। हर बार नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जा सकती है और इसे 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है।

ये नियुक्तियां समेकित वेतन पर अनुबंध आधार पर होगी और इस किस्म की सभी परियोजना नियुक्तियों के लिए नियुक्ति अधिकारी निदेशक होगा।

प्रस्ताव की जाने वाली समेकित नियमित नियुक्ति के वेतनमान के लिए शासी बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी तथा इसे परियोजना की आवश्कता तथा अनुभव के आधार पर वेतनमान में समकक्ष समेकित राशि में रखा जा सकता है। यदि प्रायोजन एजेंसी सहमत हो तो उच्च वेतन का भी प्रस्ताव किया जा सकता है।

उद्देश्य	प्रक्रिया
चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति	**1.** विज्ञापन तथा चयन समिति के अनुमोदन डीन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। **2.** चयन समिति में अध्यक्ष, दो शैक्षिक कर्मचारी और संचालक के रूप में पीआई शामिल होता है। **3.** पदों को संस्थान की वेबसाइट पर विज्ञापित किया जाना चाहिए। **4.** आवेदन प्राप्त किए जाते हैं और साक्षात्कार लिए जाते हैं। **5.** विज्ञापन की प्रति , चयन समिति का अनुमोदन , अभ्यर्थियों का तुलनात्मक विवरण, चुने गए अभ्यर्थियों के आवेदन के साथ चयन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती है। **6.** नियुक्ति पत्र तैयार किया जाता है। **7.** इसे निदेशक के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। **8.** कर्मचारी द्वारा कार्य ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। **9.** 100 रुपए के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नियुक्ति करार प्रस्तुत किया जाता है।
नियुक्ति का विस्तार	1. नियुक्ति के विस्तार के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जाता है। 2. डीन तथा निदेशक द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। 3. विस्तार प्रपत्र तैयार किया जाता है। 4. 100 रुपए के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नियुक्ति करार प्रस्तुत किया जाता है।

शोध गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए घंटा /मासिक पारिश्रमिक ढांचे के साथ आंशकालीन/पूर्णकालिक आधार पर संस्थान में तथा उससे बाहर **छात्र शोध एशोसिएट**

फॉर्म	टिप्पणियां
परियोजना बीएस-एमएस/पीएच.डी. में छात्रों की नियोजन के लिए अनुरोध	1. परियोजना अध्येता अथवा वरिष्ठ परियोजना अध्येता अथवा परियोजा वरिष्ठ शोध सहायक के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। 2. एक अवर स्नातक छात्र हो सकता है। 3. डीयूजीसी तथा एचओडी द्वारा अनुमोदित। 4. छात्र के आईआईएसईआर भोपाल के बाहर से होने के मामले में विभाग प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण- पत्र तथा सद्भावी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित होता है।

	परियोजना अध्येता अथवा वरिष्ठ परियोजना अध्येता अथवा परियोजा वरिष्ठ शोध सहायक के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। स्नातकोत्तर छात्रों के लिए। थीसिस पर्यवेक्षक, डीपीजीसी तथा एचओडी द्वारा अनुमोदित।

कार्य अनुभव प्रमाण-पत्रः सभी प्राधिकारियों द्वारा कोई बकाया नहीं पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् इसे जारी किया जाता है।

23. भंडार एवं क्रय प्रबंधन प्रकोष्ठ

परियोजना के अंतर्गत खरीदी गई सभी मदें संस्थान की संपत्ति होती हैं हालांकि इनका मुख्यतः परियोजना के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें संस्थान की अनुमोदित प्रक्रिया का पालन करते हुए खरीदा जाना अपेक्षित होता है। परियोजना समाप्त होने के पश्चात् वे त ब तक संस्थान के पास रहती हैं जब तक कि उन्हें वापस करने का कोई विशिष्ट प्रावधान अथवा आवश्यकता नहीं हो। परिणामस्वरूल खरीदी गई प्रत्येक मद संपत्ति रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। शासी बोर्ड क्रय प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देशों को *भंडार एवं क्रय मैनुअल* के रूप में अनुमोदित करता है।

सभी वस्तुओं अथवा विभिन्न श्रेणियों में सेवाओं की खरीद तथा खरीद के लिए बृहत दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैः

क्रय की श्रेणी	क्रय की प्रक्रिया
श्रेणी क (प्रत्यक्ष खरीद): 50,000/- रुपए तक फॉर्म http://web.iiserb.ac.in/DORD/forms/Project_Purchases.htm पर उपलब्ध हैं।	➢ यद्यपि, मानक मदों के मामले में एकल निविदा अनुमत्य है , तथापि, प्रतिस्पर्धी दर के लिए एक से अधिक निविदा प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। ➢ बिल/कैश मेमो के साथ अनुरोध कार्यालय में प्राप्त किए जाते हैं। ➢ बाउचर आरएंडडी में तैयार किए जाते हैं। ➢ डीन का अनुमोदन लिया जाता है। ➢ इसे आंतरिक लेखापरीक्षा को भेजा जाता है। ➢ आंतरिक लेखापरीक्षा की क्लीयरेंस के पश्चात् यह हस्ताक्षर के लिए डीआर (एफएंडए) के पास जाता है। ➢ निधियों की उपलब्धता की जांच करने के पश्चात् क्रम संख्या दी जाती है। ➢ चैक/नकदी तैयार की जाती है/दी जाती है।
श्रेणी ख : 50,000/- रुपए से अधिक स्वदेशी फॉर्म http://web.iiserb.ac.in/DORD/forms/Project_Purchases.htm पर उपलब्ध हैं।	➢ निम्निलिखित दस्तावेजों के साथ क्रय प्रस्ताव अनुरोध कार्यालय में जमा करवाए जाते हैं। ➢ न्यूनतम 3 निविदा (गैर-मालिकाना मदों के लिए) ➢ 1.5 लाख रुपए से अधिक की खरीद के लिए क्रय समिति का अनुमोदन ➢ निविदाओं का तुलनात्मक विवरण ➢ क्रय समिति की सिफारिश ➢ निधियों की उपलब्धता की जांच के पश्चात् डीन का अनुमोदन लिया जाता है। यदि यह 2 लाख रुपए (उपभोज्य) तथा 10 लाख रुपए (गैर-उपभोज्य) से अधिक हो तो निदेशक का अनुमोदन लिया जाता है। ➢ कार्यालय में मंजूरी शीट तैयार की जाती है। ➢ लेखापरीक्षा अनुभाग को क्लीयरेंस के लिए एसएस भेजा जाता है। ➢ संस्वीकृति सीट पर डीन के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। यदि यह 2 लाख रुपए (उपभोज्य) तथा 10

	लाख रुपए (गैर-उपभोज्य) से अधिक हो तो निदेशक का अनुमोदन लिया जाता है। ➢ राशि प्रणाली (इंग्रेस) में वचनबद्ध की जाती है। ➢ संस्वीकृति शीट कार्यालय में अनुमोदित की जाती है। ➢ क्रय आदेश कार्यालय में तैयार किया जाता है। ➢ इसे आरएंडडी कार्यालय , पीआई तथा वेंडर को जारी करने के लिए भंडार तथा क्रय अनुभाग में भेजा जाता है। ➢ क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार भुगतान वाउचर तैयार किया जाता है। ➢ 10 प्रतिशत बाकी अंतिम भुगतान आंतरिक लेखापरीक्षा को जाता है। ➢ आंतरिक लेखापरीक्षा की क्लीयरेंस के पश्चात् यह हस्ताक्षर के लिए डीआर (एफएंडए) के पास जाता है। ➢ क्रम संख्या तैयार की जाती है। ➢ चैक तैयार किया जाता है।
श्रेणी गः आयातित मदों का प्रापण फॉर्म http://web.iiserb.ac.in/DORD/forms/Project_Purchases.htm पर उपलब्ध हैं।	➢ निम्निलिखित दस्तावेजों के साथ क्रय प्रस्ताव अनुरोध कार्यालय में जमा करवाए जाते हैं। ➢ निविदा/प्रोफार्मा बीजक तीन प्रतियां। ➢ वस्तुओं की सूची (छः प्रतियां) ➢ उपकरण का तकनीकी साहित्य/कैटालॉग ➢ अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो) ➢ भारत में गैर-निर्माण संबंधी प्रमाण-पत्र ➢ मालिकाना प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) ➢ प्रोफार्मा बीजक 60 दिन के लिए वैद्य होता है ➢ निधियों की उपलब्धता की जांच के पश्चात् डीन का अनुमोदन लिया जाता है। ➢ डीन का अनुमोदन लिया जाता है

	➢ यदि यह 2 लाख रुपए (उपभोज्य) तथा 10 लाख रुपए (गैर-उपभोज्य) से अधिक हो तो निदेशक का अनुमोदन लिया जाता है। ➢ यदि क्रय 1 करोड़ रुपए से अधिक का होता है तो डीन आरएंडडी क्रय समिति का अध्यक्ष होता है। ➢ मंजूरी शीट के लिए इसे आयात अनुभाग में भेजा जाता है। ➢ मंजूरी सीट पर डीओआरडी के हस्ताक्षर लिए जाते है ➢ राशि प्रणाली (इंग्रेस) में वचनबद्ध की जाती है। ➢ संस्वीकृति शीट कार्यालय में अनुमोदित की जाती है। ➢ क्रय आदेश कार्यालय में तैयार किया जाता है। ➢ आयात अनुभाग से भुगतान के लिए ऋण पत्र (एलसी)/टैलीग्रेफिक हस्तांतरण (टीटी)/स्वीफ्ट हस्तांतरण प्राप्त किए जाते हैं। ➢ एलसी का अग्रेषण पत्र आरएंडडी कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है , डीआर/एआर के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात् इसे बैंक को भेजा जाता है। ➢ बैंक टेलीग्राफिक हस्तांतरण अथवा एलसी के रूप में इस राशि को आपू र्तिकर्ता के खाते में हस्तांतरित करता है। ➢ बैंक से डेविट/क्रेडिट एडवाइस प्राप्त की जाती है और आरएंडडी कार्यालय में वाउचर तैयार किया जाता है। ➢ एसआर तैयार किया जाता है।

टिप्पणीः

मानक प्रपत्र क्रय समिति के अनुमोदन के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
एसआर (अर्थात् सिस्टम में प्रविष्टि) किए जाने के पश्चात् उपकरण, पेटेंट, गैर-उपभोज्य मदों को संपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में संपत्ति रजिस्टर को अंतिम रूप दिया जाता है।

24. अग्रिम प्रबंधन प्रकोष्ठ

अग्रिम विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि आकस्मिकता, उपभोज्य, गैर-उपभोज्य तथा यात्रा अग्रिम।

प्रधान अन्वेषक तथा परियोजना से संबद्ध अन्य व्यक्ति भारत तथा विदेश में केवल इंडियन एयरवेज/एयर इंडिया द्वारा व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा कर सकते हैं। इन एयर लाइनों से इतर अन्य यात्रा के लिए यात्रा से पहले एक विशेष अनुमति ली जानी आवश्यक होती है। परियोजना की निधियों के माध्यम से समर्थित यात्रा के लिए यात्रा पात्रता हेतु संस्थान के नियम लागू होंगे और वे परियोजना के बजट शीर्ष "यात्रा" के तहत निधियों की उपलब्धता के अधीन होंगे।

अग्रिम के लिए अनुमोदन

पीआई अग्रिम के लिए परियोजना की निधियों का उपयोग कर सकता है। एसओडी को एक प्रति के साथ डीओआरडी से इलेक्ट्रॉनिक अनुमोदन अनुमत्य है। अनुमोदन तथा अग्रिम के लिए समान प्रपत्र है। यात्रा के लिए यह यात्रा से पहले अनुमोदन के अधीन है। तात्कालिक यात्रा के मामले में एओडी को एक प्रति के साथ अनुमोदन हेतु डीन को ई-मेल भेजना पर्याप्त होगा। एक परियोजना से एक समय में केवल चार अग्रिम लिए जा सकते हैं। पीआई अपने पास पेशगी भी रख सकता है, जिसमें उसे परियोजना स्थायी पेशगी के लिए फॉर्म भरना होगा।

नजदीक के स्थानों तक यात्रा के लिए टैक्सी किराये पर ली जा सकती है। भुगतान संस्थान की अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाएगा। सदस्य नियमित कैब अथवा रेडियो कैब के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं - इसे बिल प्रस्तुत करने पर वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्त किया जा सकता है। जब टैक्सी का किराया अनुमोदित दर से अधिक हो तो अपवादिक मामलों में डीन का अनुमोदन लिया जा सकता है।

यात्रा के लिए यात्रा की श्रेणी संस्थान में उसकी पात्रता के अनुसार होगी। डीन के अनुमोदन तथा यात्रा शीर्ष में निधियों की उपलब्धता के आधार पर उच्च श्रेणी यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।

उद्देश्य	प्रक्रिया
अग्रिम लेना	ऑनलाइन आवेदन/भरे हुए फॉर्म (यात्रा अनुमोदन के लिए तथा टीए अग्रिम के लिए परियोजना अग्रिम /अनुरोध हेतु) कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। वाउचर तैयार किया जाता है। डीन का अनुमोदन लिया जाता है। क्रम संख्या तैयार किए जाने के समय निधि की उपलब्धता की जांच की जाती है। सिस्टम में अग्रिम संदर्भ संख्या सृजित की जाती है और उसे अग्रिम धारक को सूचित किया जाता है। चैक/नकदी पूर्व तैयार/भुगतान की जाती है।

अग्रिम लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन डीओआरडी ऑनलाइन पर उपलब्ध हैं।

अस्वीकरणः ऑनलाइन टीए/उपकरण अथवा और अन्य अग्रिम के लिए आवेदन करने से पहले पीआई अथवा अनुरोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि संबद्ध एचओडी/तत्काल वरिष्ठ अधिकारी/रिपोर्टिंग अधिकारी, जैसा भी आवश्यक समझा जाए , से अनिवार्य प्रशासनिक अनुमोदन लिया गया है। डीओआरडी के अनुमोदन इस प्रकार के क्लीयरेंस के अधीन होते हैं और वे केवल परियोजना से संबद्ध वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक ही सीमित होते हैं।

अग्रिम का निपटानः

व्यय किए जाने के पश्चात् फॉर्म यात्रा भत्ता बिल (टीए के निपटान /खातों के निपटान (आकस्मिकिता, उपभोज्य तथा गैर-उपभोज्य अग्रिम के लिए)) भरा जाता है। मूल बिल संलग्न किए जाते है। परियोजना स्थायी पेशगी के मामले में पेशगी वापस करने के लिए खातों का विवरण भरा जाता है।

उद्देश्य	प्रक्रिया
अग्रिम का निपटान	• फॉर्म कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है। • सिस्टम में समायोजन किया जाता है। • इसे लेखापरीक्षा को क्लीयरेंस के लिए भेजा जाता है। टीए बिल लेखापरीक्षा को नहीं भेजा जाता है। • यदि अग्रिम व्यय से अधिक हो तो चैक /नकदी (आकस्मिकता/टीए जमा पर्ची) जमा करवाई जाती है।

	• यदि अग्रिम व्यय से कम हो तो क्रम संख्या सृजित की जाती है और चैक तैयार किया जाता है।

टीए अग्रिम से संबंधित फॉर्म संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
विदेशी टीए/डीए नियमों के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट देखें।
संस्थान के कर्मचारियों के लिए टीए/डीए नियमों हेतु कृपया संस्थान की वेबसाइट देखें।
परियोजना कर्मचारियों के लिए टीए/डीए नियमों हेतु कृपया संस्थान की वेबसाइट देखें।
डीए पात्रता के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट देखें।

25. समझौता ज्ञापन प्रकोष्ठ

संस्थान की शोध नीति में अंतर- विभागीय सहयोग से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-संस्थागत भागीदारी में प्रगति हुई है। संस्थान को अपने सहयोगी शोध प्रयासों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक /शोध संस्थाओं तथा उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन/अनुबंध/करारों पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होते है।

एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, संगठनों और कंपनियों के साथ ये शोध /शैक्षिक करार करते हुए तैयार किए जाने वाले दस्तावेज को सही भाषा में तैयार करना आवश्यक होता है। इसमें कानूनी महत्व होता है तथा कुछ परिस्थितियों में यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

याद रखे जाने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैः

1. **बौद्धिक संपदा अधिकारः** आईपीआर वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण शब्द है। संस्थान को जहां तक संभव हो अपने अधिकार अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। संस्थान को अन्य पक्ष द्वारा आईपीआर के स्वामित्व के मामले में अनुमति का अनुरोध किए बगैर भविष्य में किसी भी समय हमारे शोध से सृजित सूचना के प्रयोग के अधिकार का संरक्षण करना चाहिए। आविष्कारक को कागज प्रकाशित करने का अधिकार होना चाहिए।

   संस्थान ने एक आईपीआर नीति दस्तावेज अनुमोदित किया है।

2. **आविष्कारक/डीन/परियोजना अन्वेषकः** समझौता ज्ञापन में आविष्कारक का नाम होना चाहिए जो परियोजना के लक्ष्य हासि ल करेगा। वह परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरादायी होगी।

3. **डेलीबरेबलः** इस खंड की शब्दावली समझौता ज्ञापन के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है। सटीकता अनिवार्य है। समय- सीमा प्राप्त किए जाने योग्य होनी चाहिए। डेलीबरेबल का करार के एक अनुच्छेद /धारा के रूप में अथवा अनु बंध के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। कार्य तथा उपलब्धियों की तारीख का विवरण दिया जाना चाहिए। सक्षमता के लिए एक संपूर्ण परियोजना प्रस्ताव संलग्न किया जा सकता है।

4. **ऊपरी व्यय और करः** बजट नियमों नियमों के अनुसार संस्थान के ऊपरी व्यय तथा सेवा कर (यदि लागू हों) का समावेशी होना चाहिए। बजट को करार में संलग्न किया जाना चाहिए। परियोजना आरंभ करने के लिए कुछ आरंभिक भुगतान (उदाहरण के लिए 25%) होना चाहिए।

5. **संघर्ष निपटानः** समझौता ज्ञापन में स्थानीय न्यायालयों (नई दिल्ली सहित) के क्षेत्राधकार निर्धारित होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

- यह करार भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगा। विवाद निपटान के लिए विदेशी नियमों को लागू करने की अनुमति नहीं है।

अथवा

- विवाद को निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत विवाचन के लिए भेजा जा सकता हैः

    - विवाचन एवं मिलान अधिनियम , 1996 अथवा उस पर किसी सांविधिक संशोधन/पुनः तैयार तथा उस पर निर्मित नियमों के प्रावधान; अथवा
    - अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विवाचन नियमों के अनुसरण में; अथवा
    - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के विवाचन नियमों के अनुसरण में।

- विवाचन का स्थान नई दिल्ली (भारत) होगा।

  अथवा

- यदि पक्ष शिकायत (प्लेनटिफ) दायर करता है तो प्रतिवादी (जिसके विरूद्ध दावा अथवा प्रभार लगाया गया है) को विवाचन के स्थान निर्दिष्ट करने का विकल्प होगा।

6. **गोपनीयताः** पीआई और टीम के सदस्य गोपनीय सूचना के अप्रकटन के लिए उत्तरादायी होंगे। गोपनीय सूचना का सतत् अप्रकटन के लिए जहां तक संभव हो बचा जाना चाहिए।

7. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करारः

- करार को हस्तांतरित की जाने वाली **प्रौद्योगिकी का संदर्भ** (प्रकाशन/पुस्तक के रूप में) देना चाहिए।
- इस करार के अनुसरण में इस करार के किसी भी पक्ष द्वारा प्रदत्त अथवा प्रदान की गई कोई सूचना , सामग्री, सेवा, बौद्धिक संपदा, अन्य संपदा अथवा अधिकार ***जहां है - जैसा है* - आधार पर** होगी।
- आईआईएसईआरबी किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति अथवा लागू , किसी भी तरीके से जिसमें विशि ष्ट उद्देश्य के लिए फिटनेस की वारंटी , अथवा मर्चेंटेबिलिटी , उपयोग से प्राप्त अनन्य रूप से अथवा परिणामस्वरूप किसी मामले सहित किंतु उस तक सीमित नहीं किसी वारंटी को प्रदान नहीं करता है।
- संस्थान प्रौद्योगिकी के सफल उपयोग की वारंटी प्रदान नहीं कर सकता है।
- यदि अन्य पक्ष आईआईएसईआरबी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार में अर्जित आईपीआर का हस्तांतरण करती है /किसी को सौंपती है अथवा किसी परियोजना के दौरान प्रौद्योगिकी के आधार पर विकसित आईपीआर /उत्पाद का हस्तांतरण/बिक्री किसी तीसरे पक्ष को करती है तो उपर्युक्त धा राएं तीसरे पक्ष के लिए भी लागू होंगी।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार अकेला करार होगा। प्रौद्योगिकी के उत्पाद के निर्माण/वाणिज्यीकरण के लिए कोई अन्य विकास पृथक सेवा /परामर्श करार द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

8. दंड अथवा सुरक्षा जमा की धारा स्वीकार्य नहीं है।

9. परियोजना की निधियों से खरीदे गए उपकरण संस्थान की संपत्ति होंगे और इन्हें निधियन एजेंसी को पास नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए अतिरिक्त दिशा- निर्देश http://www.iiserb.ac.in पर दिए गए हैं।

जब समझौता ज्ञापन सभी दृष्टिकोण से स्पष्ट हो और दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो तो इसे टिप्पणी - मिसिल (समझौता ज्ञापन का सार) के साथ अनुमोदन के लिए निदेशक को भेजा जाता है।

एक टिप्पणी - मिसिल तैयार की जाती है और पीआई द्वारा हस्ताक्षरित इसे एचओडी द्वारा अग्रेषित किया जाता है। टिप्पणी मिसिल का एक प्रारूप http://www.iiserb.ac.in पर उपलब्ध है। एक नमूना टिप्पणी/मिसिल http://www.iiserb.ac.in पर उपलब्ध है।

अनुमोदन के पश्चात् पीआई /एओडी/डीओआरडी/डीडी/निदेशक जैसा भी मामला हो , गवाह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षिरत समझौता ज्ञापन की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी जाती है। शासी बोर्ड की प्रत्येक बैठक में पिछली शासी बोर्ड की बैठक में हस्ताक्षरित समझौतों ज्ञापनों की सूची पटल पर रखी जाती है।

26. आरएंडडी खाता प्रकोष्ठ

आरएंडडी खाता अनुभाग के कार्यकलापः

1. निधियों की उपलब्धता के अधीन एसआर का सृजन।
2. चैक जारी करना।
3. दैनिक आधार पर लेजर का पुनर्मिलान (चैक + रोकड़ अनुभाग) किया जाता है। कुल दैनिक भुगतान का मिलान किया जाता है।
4. एलसी/टीटी भुगतान का विवरण रखा जाता है।
5. बैंक के खाते में आरटीजीएस/ईसीएस हस्तांतरण देखे जाते हैं।
6. निधियों के निवेश और संबद्ध ब्याज का प्रबंधन किया जाता है।
7. मासिक आधार पर बैंक पुनर्मिलान किया जाता है।
8. प्राप्ति और भुगतान खाता वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है।
9. आय और व्यय खाता तैयार किया जाता है।
10. तुलन-पत्र तैयार किया जाता है।
11. लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर दिया जाता है।
12. लेखे तैयार किए जाते हैं/वार्षिक लेखापरीक्षा की जाती है।

27. आरए छात्रावास प्रबंधन

संस्थान में वैज्ञानिक और शोध कर्मचारियों के आवास की नीति है किंतु यह तकनीशियनों और अन्यों जैसे कि दैनिक मजदूरी पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए लागू नहीं है। आरए छात्रावास में

कमरे के आबंटन के लिए परियोजना कर्मचारी http://www.iiserb.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

आरए छात्रावास का आबंटन स्थान की उपलब्धता पर किया जाएगा। यदि कमरे उपलब्ध नहीं है तो नियमानुसार टीए/डीए प्रदान किया जाएगा।

आरएंडडी कार्यालय में उपलब्ध आवास परियोजना कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों को आबंटित किए जाएंगे जो निम्नलिखित वरिष्ठता क्रम के अनुसार सामान्य शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से आईआईएसईआर भोपाल में प्रवेश लेने वाले नियमित छात्रों से भिन्न होंगेः

- सीएसआईआर/यूजीसी प्रायोजित शोध अध्येता
- परामर्शदाता
  - **क.** वरिष्ठ परियोजना वैज्ञानिक
  - **ख.** वरिष्ठ परियोजना इंजीनियर
  - **ग.** परियोजना वैज्ञानिक
  - **घ.** परियोजना इंजीनियर
  - **ङ.** वरिष्ठ परियोजना एशोसिएट
  - **च.** अन्य
    - **i.** परियोजना एशोसिएट
    - **ii.** शोध एशोसिएट/प्रायोजित अध्येता
    - **iii.** परियोजना में शामिल सहायक कर्मचारी

आवेदन की प्रक्रिया

आरएंडडी परियोजना का कोई कर्मचारी जो आईआईएसईआर भोपाल में आवास का अनुरोध करने का इच्छुक है , वह छात्रावास वार्डन से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है अथवा इसे आईआईएसईआर भोपाल की वेबासइट से डाउनलोड कर सकता है।

आवेदन के साथ व्यक्ति का नियुक्ति पत्र संलग्न होना चाहिए और संबद्ध पीआई द्वारा इसकी यथोचित सिफारिश की जानी चाहिए।

आवास प्रभार

ऐसे कर्मचारी को किसी गृह किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा जो आरए छात्रावास सुविधा का लाभ उठाने का इच्छुक हो। कर्मचारी के वेतन नीचे दी गई दरों के अनुसार आवास प्रभारों की कटौती की जाएगीः

जल आपूर्ति प्रभार	100/-
विद्युत प्रभार	बिल के अनुसार
अनुरक्षण प्रभार	200/-
फर्नीचर के लिए किराया (कोट, कुर्सी, मेज तथा अलमारी)	300/-
जल शोधक हेतु किराया	150/-
प्रति माह बस प्रभार (वैकल्पिक)	250/-
कुल	1000/-

28. रैंकिंग डाटाबेस

- विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियां (राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय) शैक्षिक संस्थाओं की रैंकिंग के लिए सर्वेक्षण करती है। आंकड़े विभागों, छात्रों, पाठ्यक्रम के ब्यौरे, संकाय, प्रकाशन, पुरस्कार, छात्रवृत्तियों, परियोजनाओं, अवसंरचना तथा नियोजन से संबद्ध होते हैं।

- कार्यालय संस्थान में विभिन्न अनुभागों से आंकड़े एकत्रित करता है तथा सर्वेक्षण एजेंसी को नवीनतम आंकड़े उपलब्ध कराता है।

29. प्रकाशन प्रकोष्ठ

दीक्षांत समारोह की रिपोर्ट

- भविष्य में यह कार्यालय संस्थान के वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान निदेशक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निदेशक की रिपोर्ट भी तैयार करेगा जो वर्ष के दौरान आरएंडडी गतिविधियों का सिंहावलोकन, छात्रों की गतिविधियां तथा स्नातक आंकड़े प्रदान करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

- वार्षिक रिपोर्ट संस्थान के बारे में वह रिपोर्ट है जिसमें संकाय, शैक्षिक कार्यक्रम, शोध एवं विकास, केंद्रीय सुविधाओं, छात्रों के लिए सुविधाओं , नियोजन, सेवा तथा सुविधाएं , प्रकाशन, पुस्तकें, दायर पेटेंट के बारे में सूचना शामिल होती है।

- यह कार्यालय सभी अनुभागों से आंकड़े एकत्रित करता है और रिपोर्ट तैयार करता है जिसे भारत की संसद के समक्ष रखा जाता है।

संस्थान की विवरणिका

- संस्थान विभिन्न स्तरों पर पणधारियों के लाभ पर अपनी सूचना विवरणिका प्रकाशित करेगा। डीओआरडी कार्यालय विभागीय शोध तथा शैक्षिक प्रो फाइल को समुचित रूप से अद्यतन बनाते हुए सूचना विवरणिका के प्रकाश के लिए नोडल एजेंसी होगा।

खंड -IV

अनुसंधान एवं विकास कार्यालय द्वारा पहलें

30. विज्ञान कन्क्लेव

संस्थान की योजना परिसर में जारी शोध को दर्शाने तथा संस्थान के संकाय , छात्रों और शोध कर्मचारियों के बीच अंतर-विषयक शोध तथा संपर्क का संवर्धन करने के लिए एक मंच के रूप में एक विज्ञान कन्क्लेव श्रृंखला का आयोजन करने की है। अतः आईआईएसईआर भोपाल का विज्ञान कन्क्लेव सिम्पोजियम अनिवार्य रूप से एक ऐसी गतिविधि होगी जिसके अनिवार्य रूप से आईआईएसईआर भोपाल के शोध कैलेंडर में एक प्रमुख इवेंट बनने की संभावना है।

प्रत्येक वर्ष, संस्थान में शोध की कुछ प्रमुख शीर्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विविध बाह्य शोधकर्ताओं, इन क्षेत्रों में कार्यरत संकाय और छात्रों को अपने कार्य के बारे में इस प्रकार बताने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जो सामान्य श्रोताओं के लिए सुगम होगा।

31. संस्थान की व्याख्यान श्रृंखला

संस्थान में उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले विविध व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त सामान्य हित के विषयों पर संस्थान के व्याख्यान आयोजित करने की परंपरा है।

व्याख्यान श्रृंखला ऐसे विद्वानों को आमंत्रित करने के लिए 2012 में आंरभ की गई थी जो बृहत हित के विषयों पर परिसर के समुदाय से वार्ता कर सकें। प्रत्येक वर्ष ऐसे पांच से छः सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। अपने संबद्ध क्षेत्रों में विशिष्ट शोधकर्ताओं के अलावा प्रबुद्ध इतिहासविद् नीति-निर्माता, प्रौद्योगिकीविद् तथा अग्रणी विचारकों को संस्थान में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यात्रा की लागत तथा यथोचित मानदेय , यदि कोई हो , का निर्णय निदेशक द्वारा लिया जाता है।

32. विज्ञान दिवस

संस्थान की योजना भविष्य में एक विज्ञान दिवस का आयोजन करने की है जिसके संस्थान की शोध गतिविधियों में उत्कृष्ट गतिविधि बनने की आशा है।

खंड -V

परिशिष्ट

33. फॉर्मों की सूची

सभी फॉर्म http://www.iiserb.ac.in पर उपलब्ध हैं।

परियोजना प्रस्ताव फॉर्म

संकाय सदस्यों और लोगों के पास विज्ञान, इंजीनियरी, प्रबंधन, अर्थव्यस्था, नीति इत्यादि के क्षेत्र में शोध तथा विकास के सृजनात्मक विचार हैं। निधियन एजेंसियां इन विचारों के अर्जन के लिए उनकी वरीयताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये विचार प्रस्ताव के रूप में लिखे जाते हैं जिनमें परियोजना का विवरण , संभावित परिणाम, समय-सीमा, बजट इत्यादि का विवरण शामिल होता है।

विभिन्न निधियन एजेंसियों के पास परियोजना प्रस्तावों के विभिन्न प्रपत्र हैं जिन्हें संबंधित निधियन एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

<u>परियोजना नियुक्तियां</u>

फॉर्म	उद्देश्य	संलग्नक/टिप्पणियां
तदर्थ नियुक्ति के लिए अनुरोध	तदर्थ नियुक्ति	---
विज्ञापन तथा चयन समिति का अनुमोदन	चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति हेतु पूर्व अनुमोदन	---
चयन समिति की रिपोर्ट	चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति	➢ चयन समिति के विज्ञापन अनुमोदन की प्रति ➢ अभ्यर्थी का तुलनात्मक विवरण ➢ चुने गए अभ्यर्थियों की आवेदन
नियुक्ति के विस्तार हेतु अनुरोध	नियुक्ति के विस्तार हेतु	---
कार्य सौंपने के लिए अनुरोध	कार्य सौंपना	----
लघु अवधि परामर्शदाताओं/कार्मिकों की नियुक्ति के लि ए अनुरोध जो परियोजना कार्य के लिए आईआईएसईआर भोपाल के कर्मचारी नहीं है।	लघु अवधि परामर्शदाता/कार्मिकों की नियुक्ति के लिए	जीवनवृत्त
परियोजना कार्य के लिए लघु अवधि परामर्शदाताओं/कार्मिकों के लिए पारश्रमिक/परामर्शी प्रभार जारी करने का अनुरोध जो आईआईएसईआर भोपाल के कर्मचारी नहीं है।	पारिश्रमिक/परामर्शी प्रभारों को जारी करना	----
परियोजना के संबंध में छात्र की पूर्णकालीन/अंशकालीन/ग्रीष्म नियोजन के लिए अनुरोध	छात्र के पूर्णकालीन/अंशकालीन/ग्रीष्म नियोजन	---
परियोजना शोध सहायक तथा परियोजना वरिष्ठ शोध सहायक की नियुक्ति		जीवनवृत्त

<u>परियोजना पंजीकरण</u>

फॉर्म	उद्देश्य	संलग्नक/टिप्पणियां
नई परियोजना के लिए पंजीकरण फॉर्म	नई परियोजना तैयार करना	स्वीकृति पत्र/करार/समझौता ज्ञापन/प्रस्ताव तथा निविदा
परियोजना विस्तार के लिए अनुरोध	परियोजना का विस्तार	संशोधित स्वीकृत पत्र
परियोजना बंद करने के लिए अनुरोध	परियोजना बंद करना	बकाया शून्य होना चाहिए
डीओआरडी ऑनलाइन समीक्षा खाते के लिए नए लॉगिन और पासवर्ड हेतु अनुरोध	डीओआरडी ऑनलाइन पहुंच	डीन का अनुमोदन अपेक्षित है।
उपभोक्ता खाते से निधियां आईआईएसईआरबी/पीसीसी/9255 में हस्तांतरण हेतु फॉर्म	ऑनलाइन प्रभारों को वेतन/परियोजना खाते में डेविट करना	---
परामर्श के लिए प्राप्ति बिल	प्राप्त राशि से सेवा कर, ऊपरी व्यय की कटोती के लिए	➢ चैक ➢ पीआई को इस पर सही का निशान लगाना चाहिए कि क्या उपकरण आईआईएसईआरबी के पास रहेंगे या नहीं
परीक्षण के लिए प्राप्ति बिल	प्राप्त राशि से सेवा कर की कटौती के लिए	➢ चैक ➢ पीआई को इस पर सही का निशान लगाना चाहिए कि क्या उपकरण आईआईएसईआरबी के पास रहेंगे या नहीं
परियोजना दूरभाष	परियोजना में टेलीफोन प्रभार डेबिट करने के लिए	➢ एचओडी द्वारा प्रेषित। ➢ डीन का अनुमोदन अपेक्षित है।

पीडीए में राशि हस्तांतरित करने का अनुरोध	राशि परियोजना से पीडीए में हस्तांतरित करने के लिए	डीन का अनुमोदन अपेक्षित है।
दो परियोजनाओं के बीच व्यय को हस्तांतरित करने अथवा उसी परियोजना में व्यय शीर्ष के हस्तांतरण का अनुरोध	एक परियोजना से दूसरी में हस्तांतरित करने के लिए	डीन का अनुमोदन अपेक्षित है।

<u>परियोजना खरीद फॉर्म</u>

फॉर्म	उद्देश्य	संलग्नक/टिप्पणियां
क्रय प्रस्ताव अनुरोध फॉर्म (देशी)	उपकरण की खरीद	➢ न्यूनतम तीन निविदाएं ➢ 1.5 लाख रुपए से अधिक की खरीद के लिए क्रय समिति का अनुमोदन ➢ निविदाओं का तुलनात्मक विवरण
क्रय प्रस्ताव अनुरोध फॉर्म (आयात)	उपकरण का आयात	➢ निविदा/प्रोफार्मा बीजक तीन प्रतियां। ➢ वस्तुओं की सूची (छः प्रतियां) ➢ उपकरण का तकनीकी साहित्य/कैटालॉग ➢ अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र ➢ भारत में गैर-निर्माण संबंधी प्रमाण-पत्र ➢ मालिकाना प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
50,000/- रुपए से कम क्रय भुगतान	50,000/- रुपए से कम प्रत्यक्ष खरीद के लिए	➢ बिल/कैश मेमो/निविदा, यदि कोई हो ➢ यद्यपि, मानक मदों के मामले में एकल निविदा अनुमत्य है तथापि, प्रतिस्पर्धी दरों के लिए एक से अधिक निविदा प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

<u>परियोजना अग्रिम तथा यात्रा फॉर्म</u>

<u>परियोजना अग्रिम</u>

फॉर्म	उद्देश्य	संलग्नक/टिप्पणियां
किसी परियोजना से परियोजना अग्रिम के लिए फॉर्म	आकस्मिकता, उपभोज्य, गैर-उपभोज्य के लिए अग्रिम	---
अस्थायी अग्रिम के निपटान हेतु खातों का विवरण	आकस्मिकता, उपभोज्य, गैर-उपभोज्य के लिए अग्रिम का निपटान	बिल
परियोजना स्थायी पेशगी के लिए फॉर्म	पेशगी के अनुरक्षण के लिए	---
पेशगी वापस करने के लिए खातों का विवरण	पेशगी के पुनर्भुगतान के लिए	बिल
आकस्मिक बकाया जमा पर्ची	लिए गए अतिरिक्त अग्रिम को जमा करवाने के लिए	नकद/चैक

<u>यात्रा अग्रिम</u>

फॉर्म	उद्देश्य	संलग्नक/टिप्पणियां
यात्रा अनुमोदन तथा टीए अग्रिम के लिए अनुरोध	यात्रा अग्रिम के लिए	---
यात्रा भत्ता बिल	यात्रा अग्रिम के निपटान के लिए	बिल
टीए बकाया जमा पर्ची	लिए गए अतिरिक्त अग्रिम को जमा करवाने के लिए	नकद/चैक

अवकाश आवेदन तथा वितरण फॉर्म

अवकाश आवेदन पत्र

फॉर्म	उद्देश्य	संलग्नक/टिप्पणियां
परियोजना कर्मचारियों के लिए वार्षिक/आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन	वार्षिक/आकस्मिक अवकाश	---
आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन	आकस्मिक अवकाश	---
अर्जित अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश/असाधारण अवकाश हेतु आवेदन	अर्जित अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश/असाधारण अवकाश	---

वितरण फॉर्म

फॉर्म	उद्देश्य	संलग्नक/टिप्पणियां
परामर्शी निधि से विवतरण	मानदेय/परामर्शी फीस के वितरण हेतु	किए गए कार्यों के घंटे तथा कार्य की प्रकृति का औचित्य शामिल किया जाना चाहिए।
परीक्षण फीस का वितरण	परीक्षण फीस के वितरण हेतु	---

<u>विविधि फॉर्म</u>

फॉर्म	उद्देश्य	संलग्नक/टिप्पणियां
आईआईएसईआरबी के संकाय का जर्मनी जनवादी गणराज्य में तकनीकी विश्वविद्यालयों का दौरा (डीएएडी तथा आईआईएसईआर के बीच समझौता ज्ञापन के तहत)	जर्मन जनवादी गणराज्य में तकनीकी विश्वविद्यालयों का दौरा	➢ 2 पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र ➢ सी.वी. की दो प्रतियां ➢ प्रकाशन सूची की दो प्रतियां ➢ की जाने वाली परियोजना के विस्तृत विवरण की 2 प्रतियां ➢ जर्मन के समकक्ष के प्रस्तावित निवास के संबंध में पत्राचार की 2 प्रतियां ➢ प्रोफेसरों/वैज्ञानिकों के नाम शामिल करते हुए दौरे के व्यापक सदस्यों की 2 प्रतियां
कोई बकाया नहीं संबंधी प्रमाण-पत्र	त्याग-पत्र के पश्चात् सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए	---
कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (कार्य ग्रहण रिपोर्ट)	छात्रों द्वारा जेआरएफ प्राप्त करने के लिए कार्य ग्रहण करने की रिपोर्ट	---
आकस्मिकताओं को वित्त वर्ष के लिए अध्येता को प्रतिपूर्ति करने का फॉर्म		

34. संक्षेपाक्षरों की सूची

टीटीः	टेलीग्राफिक हस्तांतरण
ईसीएसः	इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस
एसआरः	क्रम संख्या
एलसीः	ऋण पत्र
आरटीजीएसः	वास्तविक समय सकल निपटान
बीओजीः	शासी बोर्ड
आईआरडीसीः	संस्थान की शोध एवं विकास समिति
आरएः	शोध एशोसिएट
सीडीएसईः	विज्ञान शिक्षा विकास केंद्र
सीएआरईः	शोध उपकरण अर्जन समिति
पीआईः	प्रधान अन्वेषक
यूसी	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
टीएः	यात्रा भत्ता
पीडीएः	व्यावसायिक विकास खाता
डीपीएः	विभागीय उन्नति खाता
आईपीआरः	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईपीः	बौद्धिक संपदा
एमओयूः	समझौता ज्ञापन
डीडीः	डिमांड ड्राफ्ट
यूजीसीः	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
एआईसीटीईः	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
जेईईः	संयुक्त प्रवेश परीक्षा
जीएटीईः	इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा
आईएनएसपीआईआरईः	प्रेरित शोध परीक्षा के लिए विज्ञान अध्ययन में नवाचार
जेएसीः	संयुक्त प्रवेश समिति
केवीपीवाईः	किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना
सीपीडीएः	संचयी व्यावसायिक विकास खाता
आईपीईसीः	बौद्धिक संपदा मूल्यांकन समिति
आईपीडीएफः	बौद्धिक संपदा प्रकटन फॉर्म